रजिस्ट्री सं० डी (डी)-73

REGISTERED No. D(D)-73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 29, 1975/अग्रहायण 8, 1897
No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 29, 1975/AGRAHAYANA 8, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1975

का० आ० 5041.—राष्ट्रपति केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन नियम, 1975-द्वारा यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्य करने वाले व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् यह निदेश देते हैं कि इस आदेश के जारी होने की तारीख से संघ के अधीन सभी सिविल पदों को, ऐसे अपवादों के अध्यधीन जिन्हें सरकार समय-समय पर किसी साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा करे, यथास्थिति समूह क, समूह ख, समूह ग तथा समूह घ, के रूप में निम्न प्रकार से पुनः वर्गीकृत किया जाएगा :—

विद्यमान वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण
श्रेणी I	समूह क
श्रेणी II	समूह ख
श्रेणी III	समूह ग
श्रेणी IV	समूह घ

परन्तु यह कि :—

(1) 1-1-73 से पूर्व विद्यमान काडरों में कोई विनिर्दिष्ट वृद्धियों के रूप में पुनरीक्षित वेतनमान में 1-1-73 को अथवा उसके पश्चात् किन्तु इस आदेश के जारी होने की तारीख से पहले सृजित किये गये अथवा सर्जित किये मान लिये गये किन्हीं पदों का वर्गीकरण वही होगा जैसा कि उन संवर्गों के पदों का होता है जिनमें उनकी वृद्धि की गई है : और

(2) उपर्युक्त (1) के अन्तर्गत न आने वाले अन्य किन्हीं पदों को जिन्हें 1-1-1973 को अथवा उसके पश्चात् किन्तु इस आदेश के जारी होने की तारीख के पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान में सर्जित किया गया है । अथवा सर्जित किया मान लिया गया है और उनका वर्गीकरण इस आदेश के पैरा 2 द्वारा अभिकल्पित पद की अपेक्षा उच्चतर है, उस पैरा के अनुसार पुनर्वर्गीकृत किया जायेगा, किन्तु ऐसे पदों के विद्यमान पदधारियों की हैसियत पर इससे प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

2. पदों के यथोपरि पुनर्वर्गीकरण के अध्यधीन और ऐसे अपवादों के भी अध्यधीन, जिन्हें सरकार समय-समय पर किसी साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा करे, इस आदेश के जारी होने के पश्चात् सर्जित सभी केन्द्रीय—सिविल पदों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाएगा :—

क्रम संख्या	पदों का विवरण	पदों का वर्गीकरण
1	ऐसा केन्द्रीय सिविल पद जिसका वेतन अथवा वेतनमान का अधिकतम रु० 1300.00 से कम न हो ।	समूह क
2	ऐसा केन्द्रीय सिविल पद जिसका वेतन अथवा वेतनमान का अधिकतम रु० 900.00 से कम न हो किन्तु रु० 1300.00 से कम हो ।	समूह ख
3	ऐसा केन्द्रीय सिविल पद जिसका वेतन अथवा वेतनमान का अधिकतम रु० 290.00 से अधिक हो, किन्तु रु० 900.00 से कम हो ।	समूह ग
4	ऐसा केन्द्रीय सिविल पद जिसका वेतन अथवा वेतनमान का अधिकतम रु० 290 अथवा उससे कम हो ।	समूह घ

परन्तु इस आदेश के जारी होने के पश्चात् विद्यमान काडरों में विनिर्दिष्ट वृद्धियों के रूप में सर्जित किये गये पदों का वर्गीकरण वही होगा जैसा कि उस काडर के पदों का है, जिनमें इन्हें जोड़ा जाए ।

टिप्पणी :—इस आदेश के प्रयोजन के लिए :—

(I) 'वेतन' का अर्थ वही होगा जो मूल नियम 9(21) (क) (i) किया गया है ।

(II) किसी पद के वेतन अथवा वेतनमान से केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1973 के अधीन विहित वेतन अथवा वेतनमान अभिप्रेत है ।

[सं० 21/2/74-स्थापना (घ)]

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

New Delhi, the 11th November, 1975

S.O. 5041.—In exercise of the powers conferred by Rule 6 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, as amended by the Central Civil Services classification Control and Appeal 1 A Amendment Rules 1975 and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby direct that with effect from the date of issue of this order, all civil posts under the Union shall, subject to such exceptions as Government may, by any general or special order make from time to ime, be reclassified as Group A, Group B, Group C, and Group D, as the case may be, as indicated below :—

Existing Classification	Revised Classification
Class I	Group A
Class II	Group B
Class III	Group C
Class IV	Group D

Provided that

(i) the classificat.on any posts created or deemed to have been created on or after 1-1-1973 in the revised scale but before the date of issue of this order, as specific additions to cadres existing prior to 1-1-1973, shall be the same as that of the posts in the cadres to which they have been added and

(ii) any other posts not covered by (i) above created or deemed to have been created in the revised scale of pay on or after 1-1-1973 but before the date of issue of this order having a classification higher than the one envisaged by the para 2 of this order shall be reclassified in terms of that paragraph but without prejudice to the status of the existing incumbents of such posts.

2. Subject to reclassification of posts as indicated above, and also subject to such exceptions as Government may, by any general or special order, make from time to time, all Central Civil posts created subsequent to the issue of this order shall be classified as follows :—

Sl. No.	Description of Posts	Classification of Posts
1.	A Central Civil post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs. 1300.00 . . .	Group A
2.	A Central Civil post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of not less than Rs. 900.00 but less than Rs. 1300.00	Group B
3.	A Central Civil post carrying a pay or a scale of pay with a maximum of over Rs. 290.00 but less than Rs. 900.00 .	Group C
4.	A Central Civil post carrying a pay or a scale of pay the maximum of which is Rs. 290.00 or less	Group D

Provided that posts created subsequent to the issue of this order as specific additions to existing cadres shall have the same classification as posts in the cadre to which they are added.

NOTE :—For the purposes of this order—

(i) 'pay' has the meaning assigned to it in F.R. 9(21)(a)(i).

(ii) The pay of scale of pay of a post means the pay or scale of pay prescribed under the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1973.

[No. 21/2/74-Estt(D)]

का० आ० 5042.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्य करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात

1 (क) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील)----------संशोधन नियम, 1975 है ।

(ख) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 में विद्यमान नियम 4, 5 तथा 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :—

"4 सेवाओं का वर्गीकरण (1) संघ की सिविल सेवाएं निम्न प्रकार से वर्गीकृत की जाएंगी :—

(i) केन्द्रीय सिविल सेवाएं, समूह क,

(ii) केन्द्रीय सिविल सेवाएं समूह ख,

(iii) केन्द्रीय सिविल सेवाएं समूह ग,

(iv) केन्द्रीय सिविल सेवाएं समूह घ,

(2) यदि किसी सेवा में एक से अधिक श्रेणियां शामिल हो तो ऐसी सेवा के विभिन्न श्रेणियां को विभिन्न समूहों में शामिल किए जा सकता है ।

5 केन्द्रीय सिविल सेवाओं का गठन :

केन्द्रीय सिविल सेवाएं, समूह क, समूह ख, समूह ग, तथा समूह घ में ऐसी सेवाएं तथा सेवाओं के श्रेणियां होंगी जो अनुसूची में भी विनिर्दिष्ट हैं ।

6 पदों का वर्गीकरण :

उन पदों को छोड़ कर जो साधारण तया ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित हैं जिन पर ये नियम लागू नहीं होते संघ के अधीन सिविल पदों को, राष्ट्रपति के साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाएगा ।

(i) केन्द्रीय सिविल पद, समूह क

(ii) केन्द्रीय सिविल पद, समूह ख

(iii) केन्द्रीय सिविल पद, समूह ग

(iv) केन्द्रीय सिविल पद, समूह घ

3 केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 में नियम 6 के पश्चात निम्नलिखित को नए नियम 6-क के रूप में, जैसा कि ऊपर नियम 2 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जोड़ दिया जाए ।

"6-क इन नियमों के प्रारम्भ होने से तुरन्त पूर्व प्रवृत्त सभी नियमों, आदेशों, अनुसूचियों, अधिसूचनाओं, विनियमों, अनुदेशों में केन्द्रीय सिविल सेवाओं, केन्द्रीय सिविल पदों के वर्ग I वर्ग II, वर्ग III तथा वर्ग IV के प्रति सभी निवेशों का अर्थान्वयन क्रमशः केन्द्रीय सिविल सेवाओं केन्द्रीय सिविल पदों के समूह क, समूह ख, समूह ग तथा समूह घ के प्रति निवेशों के रूप में किया जाएगा और इस संदर्भ में उनमें "वर्ग अथवा वर्गों" के प्रति किसी निवेश का अर्थान्वयन, यथास्थिति, 'समूह' अथवा 'समूहों' के प्रति निर्देश के रूप में किया जाएगा ।

[सं० 21/2/74-स्थापना (ख)]
एस० कृष्णन, निदेशक

S.O. 5042.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 and clause (5) of Article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General in respect of persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, namely :—

1. (a) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal).....Amendment Rules, 1975.

(b) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Classification Control and Appeal) Rules, 1965, for the existing rules 4, 5 and 6, the following may be substituted, namely :—

"4 Classification of Services. (1) The Civil Services of the Union shall be classified as follows :—

(i) Central Civil Services, Group A ;

(ii) Central Civil Services, Group B ;

(iii) Central Civil Services, Group C ;

(iv) Central Civil Services, Group D.

(2) If a Service consists of more than one grade, different grades of such Service may be included in different groups.

5. Constitution of Central Civil Services. The Central Civil Services, Group A, Group B, Group C and Group D shall consists of the services and grades of Services specified in the Schedule.

6. Classification of posts. Civil posts under the Union other than those ordinarily held by persons to whom these rules do not apply, shall by a general or special order of the President, be classified as follows :—

(i) Central Civil posts, Group A ;

(ii) Central Civil posts, Group B ;

(iii) Central Civil posts, Group C ;

(iv) Central Civil posts, Group D.

3. In the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the following may be added as a new rule 6A after rule 6 as substituted by rule 2 above :—

"6A. All reference to Central Civil Services/Central Civil posts Class I, Class II, Class III, and Class IV in all Rules, orders, Schedules, Notifications, Regulations, Instructions in force, immediately before the commencement of these Rules, shall be constructed as references to Central Services/Central Civil posts, Group A, Group B Group C and Group D respectively/and any reference to "Class or Classes" therein in this context shall be construed as reference to "Group or "Group", as the case may be."

[No. 21/2/74-Estt. (D)]
S. KRISHNAN, Director

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1975

का० आ० 5043:—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री पी० आर० नामजोशी, अधिवक्ता बम्बई को बम्बई उच्च न्यायालय में, सर्व श्री एच० एस० धालीवाल और हरसुख लाल जयन्ती लाल अन्साली के विरुद्ध दाण्डिक अपीलों तथा 1972 के विशेष मुकद्दमा नं० 4 में दिनांक 8 अप्रैल, 1975 को विशेष न्यायाधीश बृहत्तर बम्बई द्वारा निर्णीत दोष सिद्धि (आर० सी० सं० 13/70-बम्बई) के विरुद्ध अभियुक्त व्यक्तियों सर्व श्री एच० एस० धालीवाल, एस० एस० भटनागर, तथा ए० बी० जोशी द्वारा दायर की गई अपीलों में राज्य सरकार की ओर से संचालन करने हेतु विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है ।

[संख्या 225/64/75-ए० बी० डी (II)]
बी० सी० बंजानी, अवर सचिव

New Delhi, the 12th November, 1975

S.O. 5043.—In exercise of the powers conferred by subsection (6) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri P. R. Namjoshi, Advocate, Bombay, as a Special Public Prosecutor for the purpose of conducting, in the High Court

of Bombay, criminal appeal on behalf of the State against Sarvashri H. S. Dhaliwal and Harsukhlal Jayantilal Bansali and also the appeals filed by the accused persons Sarvashri H. S. Dhaliwal, S. S. Bhatnagar and A. V. Joshi against their conviction in Special case No. 4 of 1972 decided on the 8th of April, 1975 by Special Judge for Greater Bombay, (R. C. No. 13/70-Bombay).

[No. 225/64/75-AVD(II)]

B. C. VANJANI, Under Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1975

का० आ० 5044 :—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 91-मल्लावां निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अब्दुल वारिस, ग्राम लालपुर कछरी, पो० डाभा, जिला हरदोई, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अब्दुल वारिस को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/91/74(293)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 17th October, 1975

S.O. 5044.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Abdul Waris, Village Lalpur, Kachari, P.O. Dabha District—Hardoi, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 91-Mallawan assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Abdul Waris to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/91/74 (293)]

आदेश

का० आ० 5045 :—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 130-अकबरपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम चन्दर, ग्राम कादीपुर, पोस्ट कटघर मूसा, जिला फैजाबाद, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम चन्दर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/130/74(295)]

ORDER

S.O. 5045.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Chander, Village Kadipur, Post Katghar Moosa, District—Faizabad, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 130-Akharpur, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Chander to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/130/74 (295)]

आदेश

का० आ० 5046 :—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 219-मुहम्मदाबाद गोहना (अ० जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री छोटे लाल, ग्राम फरीदपुर, डा० बन्धीघाट, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री छोटे लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/219/74(297)]

ORDER

S.O. 5046.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Chhote Lal, Village Faridpur, Post Office Bandlghat, District—Azamgarh, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 219, Mohammadabad Gohna (SC) assembly constituency,—has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Chhote Lal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/219/74 (297)]

आदेश

का० आ० 5047.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 218-मुबारकपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम नाथ दास, ग्राम व पो० सठियाँव, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम नाथ दास को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/218/74/(296)]
ए० एन० सैन, सचिव

ORDER

S.O. 5047.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ramnath Das, Village and Post Sathlaon, District—Azamgarh, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 218-Mubarakpur, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Ramnath Das to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/218/74 (296)]
A. N. SEN, Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1975

आय-कर

का० आ० 5048.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सर्वश्री एम० पी० नायर और पी० ए० अब्राहम को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

2. अधिसूचना सं० 379 (फा० सं० 404/15/73-आई० टी० सी०) तारीख 15 जून, 1973 के अधीन की गई सर्वश्री आई० बी० भसीन और डी० पी० सुन्दरम् की नियुक्ति पैरा 1 में वर्णित अधिकारियों के वसूली अधिकारियों के रूप में कार्य-भार ग्रहण करने की तारीख से रद्द की जाती है ।

3. यह अधिसूचना पैरा 1 में वर्णित अधिकारियों के कर वसूली अधिकारियों के रूप में कार्य-भार ग्रहण करने की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

[1099(फा०सं० 404/116/75आई०टी०सी०सी०)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

New Delhi, the 25th September, 1975

INCOME-TAX

S.O. 5048.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises S/Shri M. P. Nair and P. A. Abraham who are Gazetted Officers of the Central Government, to exercise the powers of Tax Recovery Officers under the said Act.

2. The appointment of S/Shri I. B. Bhasin and D. P. Sundaram made under Notification No. 379 (F. No. 404/15/73-ITCC) dated 15th June, 1973 is hereby cancelled with effect from the date of officers in paragraph 1 take over charge as Tax Recovery Officers.

3. This Notification shall come into force with effect from the date the officers in paragraph 1 take over charge as Tax Recovery Officer.

[No. 1099 (F. No. 404/116/75-ITCC)]

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1975

का० आ० .—अधिसूचना सं० 914 (फा० सं० 404/98/75-आई० टी० सी० सी०) तारीख 21 मई, 1975 का आंशिक उपान्तरण करते हुए उसके पैरा 1 में आने वाला श्री आर० एम० कृष्णन का नाम हटाया जाता है।

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 1975 से प्रवृत्त होगी ।

[सं० 1107क (फा० सं० 404/98/75-आई० टी० सी० सी०]

New Delhi, the 30th September, 1975

S.O. 5049.—In partial modification of the Notification No. 914 (F. No. 404/98/75-ITCC) dated 21st May, 1975 the name of Shri R. M. Krishanan appearing in Para 1 thereof is deleted.

2. This notification shall come into force with effect from 1st October, 1975.

[No. 1107A (F. No. 404/98/75-ITCC)]

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1975

का० आ० 5050:—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड 44 के उप-खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री एच० सी० अदलखा को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. अधिसूचना सं० 872 (फा० सं० 404/61/75-आई टी० सी० सी०) तारीख 15 अप्रैल, 1975 के अधीन की गई श्री एस० डी० मधाले की नियुक्ति 1 अक्तूबर, 1975 से रद्द की जाती है।

3. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 1975 से प्रवृत्त होगी।

[सं० 1114 (फा० सं० 404/61/75-आई० टी० सी० सी०)]

New Delhi, the 1st October, 1975

S.O. 5050.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri H. C. Adlakha who is a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. The appointment of Shri S. D. Madhale, made under Notification No. 872 (F. No. 404/61/75-ITCC) dated the 15th April, 1975 is hereby cancelled with effect from 1st October, 1975.

3. This Notification shall come into force with effect from the 1st October, 1975.

[No. 1114 (F. No. 404/61/75-ITCC)]

का० आ० 5051:—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड के उप-खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री एफ० सी० पुरी को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी।

[सं० 1112 (फा० सं० 404/153/75-आई० टी० सी० सी०)]

वी० पी० मित्तल, उप-सचिव

S.O. 5051.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri F. C. Puri, who is a Gazetted Officer of the Central Government to exercise the powers of the Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with immediate effect.

[No. 1112 (F No. 404/153/75-ITCC)]

V. P. MITTAL, Dy. Secy.

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्तूबर, 1975

बीमा

का० आ० 5052:—केन्द्रीय सरकार बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, बीमा नियम, 1939 में कतिपय और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त धारा की उपधारा (1) में अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों के लिये जानकारी के लिये प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। यह भी सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

प्रारूप

1. इन नियमों का नाम बीमा (द्वितीय संशोधन) नियम, 1975 है।

2. बीमा नियम, 1939 में,—

(क) नियम 10ग में,—

(i) उपनियम (1) के साथ निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:—

"परन्तु भारतीय जीवन बीमा निगम की दशा में, उपरोक्त विवरणी में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन उक्त विनिधानों की स्थिति दिखाई जायेगी और विवरणी प्रारूप 4ककक में होगी;

(ii) उपनियम (2) में, "प्रारूप 4ख में होगी" शब्दों, अंकों और अक्षर के पश्चात्, तथा भारतीय जीवन बीमा निगम की दशा में प्रारूप 4खखख में होगी शब्द, अंक और अक्षर जोड़े जायेंगे;

(ख) प्रारूप 4कक के पश्चात् निम्नलिखित प्रारूप जोड़ा जायेगा, अर्थात्:—

प्ररूप 4 ककक

[नियम 10 ग (1) देखिये]

भारतीय जीवन बीमा निगम की नियंत्रित निधि के तारीख————————19————————को यथास्थित विनिधान की विवरणी

[धारा 28 क (1) देखिये]

(कृपया प्ररूप से उपाबद्ध टिप्पण देखिये)

भाग क

(1) सरकारी प्रतिभूतियां और अन्य प्रतिभूतियां जो केन्द्रीय सरकार के या किसी राज्य की सरकार के राजस्व पर भारित हैं अथवा जिनका मूलधन और ब्याज केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा पूर्णतया प्रत्याभूत है

विनिधान का प्रवर्ग	कुल अंकित मूल्य	कुल बही मूल्य	टिप्पणियां
(क) सरकारी प्रतिभूतियां--			
(ख) अनुमोदित प्रतिभूतियां--			

(2) ऊपर की मद (1) में निर्दिष्ट से भिन्न अनुमोदित प्रतिभूतियां
[धारा 2 (3) देखिये]

विनिधान का प्रवर्ग	कुल अंकित मूल्य	कुल बही मूल्य	टिप्पणियां

(3) धनराशि के लिये डिबेन्चर या अन्य प्रतिभूतियां जो राज्य सरकार की अनुज्ञा से किसी नगर पालिका द्वारा निर्गमित की गई हैं

विनिधान का प्रवर्ग	कुल अंकित मूल्य	कुल बही मूल्य	टिप्पणियां

(4) किसी कम्पनी की किसी स्थावर सम्पत्ति, संयंत्र या उपस्कर पर प्रथम भार द्वारा प्रत्याभूत डिबेंचर जिनके लिये कम्पनी ने ऐसे या तत्समान डिबेंचरों के निर्गमन से ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्षों के लिये अथवा छह या सात वर्षों में से पांच वर्षों के लिये पूरी ब्याज संदत्त कर दी है

कुल अंकित मूल्य	कुल बही मूल्य	यदि विनिधान किसी प्राइवेट सीमित कम्पनी में है तो क्या केन्द्रीय की अनुज्ञा पहले ही प्राप्त कर ली गई है ?	टिप्पणियां.

(5)(क) किसी कम्पनी की किसी स्थावर सम्पत्ति, संयंत्र या उपस्कर पर प्रथम भार द्वारा प्रत्याभूत डिबेन्चर, वहां जहां ऐसी सम्पत्ति, संयंत्र या उपस्कर का अंकित मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में से जो भी कम हो, ऐसे डिबेन्चरों के मूल्य के तीन गुणा से अधिक है

कुल अंकित मूल्य	मूल बही मूल्य	यदि विनिधान किसी प्राइवेट सीमित कम्पनी में किया गया है तो क्या केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा पहले ही प्राप्त कर ली गई है?	टिप्पणियां

(5)(ख) ऐसी कम्पनी के शेयरों में परिवर्तनीय डिबेन्चर जिसने अपने शेयरों पर कम से कम 4 प्रतिशत डिविडेन्ड, बोनस को सम्मिलित करते हुये ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्ष के लिये या ठीक पूर्ववर्ती सात वर्षों में से कम से कम पांच वर्षों के लिये संदत्त कर दिया है

कुल अंकित मूल्य	कुल बही मूल्य	यदि विनिधान किसी प्राइवेट सीमित कम्पनी में किया गया है तो क्या केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा पहले ही प्राप्त कर ली गई है?	टिप्पणियां

(6) किसी कम्पनी के आकलित अधिमानी शेयर जिसने ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्षों के लिये अथवा ठीक पूर्ववर्ती सात वर्षों में से कम से कम पांच वर्षों के लिये अपने साधारण शेयरों पर डिविडेन्ड संदत्त किया जा चुका है, परन्तु यह तब जब ऐसे अधिधानी शेयरों को कम्पनी के समापन की दशा में समस्त साधारण शेयरों पर संदाय के लिये अधिमानता प्राप्त हो

कुल अंकित मूल्य	कुल बही मूल्य	यदि विनिधान किसी प्राइवेट सीमित कम्पनी में किया गया है तो क्या केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा पहले ही प्राप्त कर ली गई है?	टिप्पणियां

(7) किसी कम्पनी के आकलित शेयर जिन पर ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्षों के लिये या ठीक पूर्ववर्ती छह या सात वर्षों में से कम से कम पांच वर्षों के लिये डिविडेन्ड संदत्त किया जा चुका है और जिन्हें कम्पनी के समापन की दशा में समस्त साधारण शेयरों पर, संदाय के लिये, अधिमानता प्राप्त हो

कुल अंकित मूल्य	कुल बही मूल्य	यदि विनिधान किसी प्राइवेट सीमित कम्पनी में किया गया है तो क्या केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा पहले ही प्राप्त कर ली गई है?	टिप्पणियां

(8) किसी कम्पनी के ऐसे शेयर जिनके लिये किसी अन्य कम्पनी ने जो कि ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्षों के लिये या ठीक पूर्ववर्ती, छह या सात वर्षों में से कम से कम पांच वर्षों के लिये अपने साधारण शेयरों पर डिविडेन्ड संदत्त कर चुका हो, गारन्टी की गई है

विनिधान का प्रवर्ग	कुल अंकित मूल्य	कुल बही मूल्य	गारन्टी करने वाली कम्पनी द्वारा गारन्टीकृत सभी कम्पनियों के शेयरों की कुल रकम गारन्टी करने वाली कम्पनी के अधिमानों और साधारण शेयरों की संदत्त रकम के 50 प्रतिशत से अधिक तो नहीं है	निगमों के समनुषंगियों से भिन्न किसी एक कम्पनी के साधारण शेयरों में विनिधान, जिसमें अनाहृत दायित्व भी आते हैं, यदि वे अंशतः समादत्त हो तो यदि वे 30% से अधिक हों केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा पहले से प्राप्त की गई है या नहीं ? यदि विनिधान किसी प्राइवेट सीमित कम्पनी में है तो यह भी है कि केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा पहले ही प्राप्त कर ली गई है या नहीं।	टिप्पणियां

(क) अधिमानी शेयर
(ख) साधारण शेयर

(9) किसी कम्पनी के शेयर जिन पर ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्षों के लिये या ठीक पूर्ववर्ती सात वर्षों के लिये या ठीक पूर्ववर्ती सात वर्षों में से कम से कम पांच वर्षों के लिये कम से कम 4 प्रतिशत डिविडेन्ड, जिसमें बोनस भी आता है, संदत्त किये जा चुके हैं

विनिधान का प्रवर्ग	कुल अंकित मूल्य	कुल बही मूल्य	निगम के समनुषंगियों से भिन्न किसी एक कम्पनी के साधारण शेयरों में विनिधान, जिसमें अनाहृत दायित्व भी आते हैं, यदि वे अंशतः समादत्त हो तो यदि वे 30 प्रतिशत से अधिक हो, केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा पहले से प्राप्त की गई है या नहीं ? यदि विनिधान किसी प्राइवेट सीमित कम्पनी में है तो यह भी है कि केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा पहले ही प्राप्त कर ली गई है या नहीं।	टिप्पणियां

(क) अधिमानी शेयर
(ख) साधारण शेयर

(10) भारत में या किसी अन्य देश में जहां निगम बीमा कारोबार कर रहा है, स्थित स्थावर सम्पत्ति

निगम द्वारा विनिहित की गई कुल रकम	सभी विलंगनों से मुक्त है या नहीं	टिप्पणियां

(11) भारत में या किसी अन्य देश में जहां निगम बीमा कारोबार कर रहा है, स्थित स्थावर सम्पत्ति पर प्रथम बन्धकें

बन्धकों पर दी गई कुल रकम	बन्धक सम्पत्ति पट्टाधृति सम्पत्ति ऐसी सम्पत्ति तो नहीं है जो 30 वर्ष से अन्यून परावेय अवधि के लिये हो तथा बन्धक धन सम्पत्ति के मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक तो नहीं है	कुल बकाया रकम		टिप्पणियां
		मूल	ब्याज	

(12) किसी प्राधिकारी को या सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी सोसाइटी को जो भारत में आवासन या भवन सम्बन्धी कोई स्कीम चल रही हो, उस दशा में उधार जब कि मूल और ब्याज के प्रतिसंदाय की गारन्टी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ने की हो।

मंजूर किये गये उधारों की कुल रकम	कुल बकाया रकम		टिप्पणियां
	मूल	ब्याज	

(13) किसी पब्लिक कम्पनी या पब्लिक सेक्टर में के किसी स्थापन या सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी की आवासन या भवन सम्बन्धी स्कीम के अधीन भारत में स्थित स्थावर सम्पत्ति पर प्रथम बन्धकें।

बन्धक उधार स्कीम का प्रवर्ग	बन्धकों पर ली गई कुल रकम	बन्धक धन सम्पत्ति के मूल्य के तीन चौथाई से अधिक तो नहीं है?	कुल बकाया रकम		टिप्पणियां
			मूल	ब्याज	

(14) पालिसी धारकों के फायदे के लिए निगम की किसी आवासन या भवन संबंधी स्कीम के अधीन स्थावर सम्पत्ति के प्रथम बन्धकों पर उधार।

बन्धकों पर दी गई कुल रकम	उधार की रकम सम्पत्ति के मूल्य के 85 प्रतिशत से अधिक तो नहीं है?	कुल बकाया रकम		टिप्पणियां
		मूल	ब्याज	

(15) आजीवन हितों पर उधार

दिए गए उधार की रकम	कुल बकाया रकम		आजीवन हित का मूल्य सभी मामलों में किसी बीमांकक द्वारा प्रमाणित है या नहीं	टिप्पणियां
	मूल	ब्याज		

(16) निगम द्वारा या ऐसी बीमाकर्ता द्वारा जिसके नियंत्रित कारोबार की आस्तियां और दायित्व निगम को अन्तरित कर दिए गए हैं या उसमें निहित कर दिए गए हैं, निगमित जीवन बीमा पालिसियों पर, उनके अभ्यर्पण मूल्य तक, उधार या निगम के कर्मचारियों को मकान क्रय करने या बनवाने के प्रयोजनार्थ या मोटर साइकिलें, मोटरगाड़ियां या कोई अन्य वाहन निगम द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम के अनुसरण में, क्रय करने के प्रयोजनार्थ उधार

उधार का प्रवर्ग	कुल बकाया रकम		टिप्पणियां
	मूल	ब्याज	
(क) स्वतः असमपहरणीय के अधीन से भिन्न जीवन बीमा पालिसियों पर उधार			
(ख) स्वतः समपहरणीय के अधीन अग्रिम धन			
(ग) निगम की अन्य स्कीमों के अधीन उधार			

(17) आजीवन हित।

क्रय किए गए आजीवन हितों का कुल मूल्य	सभी मामलों में बीमांकक द्वारा मूल्य प्रमाणित है या नहीं	टिप्पणियां

(18) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में तत्समय सम्मिलित बैंकों के पास, या सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912, अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसी सहकारी सोसाइटियों के पास, जिनका मूल उद्देश्य इसी प्रकार रजिस्ट्रीकृत अन्य सहकारी सोसाइटियों को वित्तपोषित करना है, निक्षेप।

बैंकों/सहकारी सोसाइटियों, आदि के पास निक्षेपों की कुल रकम	टिप्पणियां

(19) सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 के अधीन, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटियों के डिबेन्चर और उनमें शेयर।

विनिधान का प्रवर्ग	कुल अंकित मूल्य	कुल बही मूल्य	टिप्पणियां
(क) डिबेन्चर			
(ख) शेयर			

(20) अन्य विनिधान जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 27क की उपधारा (1) के अधीन अनुमोदित विनिधान के रूप में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषित किए गए हैं।

विनिधान का प्रवर्ग	कुल अंकित मूल्य	कुल बही मूल्य	टिप्पणियां

भाग ख

(विनिधान समिति की स्कीम की एकमत से की गई सिफारिश प्राप्त करके अथवा यदि ऐसी सिफारिश प्राप्त न की जा सके तो निगम की प्रस्थापना पर जो कि अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों के कम-से-कम तीन चौथाई के बहुमत द्वारा पारित हो, अनुसूचित विनिधानों से धन रूप में विनिहित या विनिहित मानी गई रकमों के संबंध में)।

(1) नियंत्रित निधि का 15 प्रतिशत। रु०

(2) विनिधान की विशिष्टियां

विनिधान का प्रवर्ग	कुल अंकित मूल्य	कुल बही मूल्य	यदि निगम की समनुषंगियों से भिन्न किसी एक कम्पनी में साधारण शेयरों में किया गया विनिधान, जिसमें अनाहूत दायित्व भी सम्मिलित हैं, यदि वह अंशतः समादत्त हो तो, कम्पनी, की अंशदायी साधारण शेयरपूंजी के 30 प्रतिशत से अधिक है तो केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुज्ञा प्राप्त की गई है या नहीं? यदि विनिधान किसी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में है तो केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुज्ञा प्राप्त की गई है या नहीं?	टिप्पणियां

भाग ग

भाग क, भाग ख और भाग घ में सम्मिलित से भिन्न विनिधानों की विशिष्टियां।

विनिधान का प्रवर्ग	कुल अंकित मूल्य	कुल बही मूल्य	टिप्पणियां

भाग घ

अंशदायी साधारण शेयर पूंजी के तीस प्रतिशत से आधिक्य में किसी एक कम्पनी के साधारण शेयरों में किए गए विनिधानों की विशिष्टियां, जिसमें कम्पनी के अंशतः समादत्त शेयरों पर अनाहूत दायित्व सम्मिलित हैं।

I

कुल अंकित मूल्य	कुल बही मूल्य	कम्पनी की अंशदायी साधारण शेयर पूंजी के तीस प्रतिशत से आधिक्य में किए गए विनिधानों की रकम, जिसमें अंशतः समादत्त शेयरों का अनाहूत दायित्व भी सम्मिलित है।	विनिधान विवरणी के भाग क में सम्मिलित है या भाग ख में				विनिधान के लिए केन्द्रीय सरकार पूर्वानुज्ञा प्राप्त की गई है या नहीं	टिप्पणियां
			भाग क		भाग ख			
			अंकित मूल्य	बही मूल्य	अंकित मूल्य	बही मूल्य		

किसी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के शेयरों या डिबेन्चरों में किए गए विनिधानों की विशिष्टियां।

विनिधान का प्रवर्ग	कुल अंकित मूल्य	कुल बही मूल्य	विनिधान विवरणी के भाग क में सम्मिलित है या भाग ख में				विनिधान के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुज्ञा प्राप्त की गई है या नहीं	टिप्पणियां
			अंकित मूल्य	बही मूल्य	अंकित मूल्य	बही मूल्य		

मैं प्रमाणित करता हूं कि :—

(क) विवरणी में दी गई विशिष्टियां मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं;

(ख) विभिन्न विनिधानों को विवरणी के उपयुक्त भागों में समुचित रूप से वर्गीकृत किया गया है; और

(ग) सभी विनिधान बीमा अधिनियम 1938 की धारा 27क की विभिन्न सुसंगत उपधाराओं के उपबन्धों के, जैसी कि वे भारतीय बीमा निगम को लागू की गई हैं, अनुसार हैं और हर समय उसी के अनुसार रहे हैं।

तारीख : प्रबन्ध निदेशक

प्ररूप 4-ककक के टिप्पण

I. विवरणी के भाग I में के विनिधानों के सम्बन्ध में उन सभी विनिधानों की विशिष्टियां पृथक् रूप से दी जानी चाहिए जो अन्तिम विवरणी के समय अनुसूचित किए गए थे किन्तु तदनन्तर ऐसे नहीं रहे।

II. बीमा कारोबार पूंजी मोचन (निश्चित वार्षिकी को सम्मिलित करते हुए) के सम्बन्ध में विनिधानों के आंकड़े पृथक् दिए जाने चाहिए।

III. भारत के बाहर विनिधानों के आंकड़े पृथक् से दिए जाने चाहिएं।

(ग) प्ररूप 4-खख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप 4-खखख

[नियम 10ग(2) देखिए]

——————19.. को समाप्त होने वाले अर्द्ध वर्ष के दौरान भारत जीवन बीमा निगम की नियंत्रित निधि के विनिधान में हुए परिवर्तनों की बाबत विवरणी।

[धारा 28क(2) देखिए]

(कृपया प्ररूप से उपाबद्ध टिप्पण देखिए)

(1) ——————19.. को समाप्त होने वाले अर्द्ध वर्ष के दौरान क्रय या वृद्धियां।

विनिधान का प्रवर्ग	कुल अंकित मूल्य	कुल बही मूल्य	यह उल्लेख भी कीजिए कि वृद्धियां, विद्यमान अवधारण सहित, यदि कोई हों, — (क) यदि किसी एक कम्पनी के साधारण शेयरों में की गई है तो वे कम्पनी की अंशदायी साधारण शेयर पूंजी के तीस प्रतिशत से अधिक तो नहीं हैं) (अंशतः समादत्त शेयरों पर अनाहूत दायित्वों को भी जोड़ा जाएगा); और (ख) यदि किसी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में हैं तो क्या केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुज्ञा के बिना हैं।	टिप्पणियां

(2) ....19 ..को समाप्त होने वाले अर्द्ध वर्ष के दौरान विक्रय या कटौतियां।

विनिधान का प्रवर्ग	विक्रय किए गए या उगाही किए गए विनिधान का कुल अंकित मूल्य	विक्रय किए गए या उगाही किए गए विनिधानों का कुल बही मूल्य	उगाही गई कुल रकम	टिप्पणी

प्ररूप 4खखख के टिप्पण

I. अनुसूचित और अनुसूचित विनिधानों से संबंधित विशिष्टियां पृथक्-पृथक् दिखाई जानी चाहिए।

II. बीमा कारोबार पूंजी मोचन (नियत वार्षिकी को सम्मिलित करते हुए) के संबंध में विनिधानों के आंकड़े।

III. भारत के बाहर विनिधानों के आंकड़े पृथक् से दिए जाने चाहिए।"

[फा० सं० 98 (1) इन्स०-II/74]

नेम चन्द जैन, अवर सचिव

New Delhi, the 29th October, 1975

INSURANCE

S.O.5052.—The following draft of certain rules further to amend the Insurance Rules, 1939, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 114 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), is published as required by sub-section (1) of that section, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of a period of sixty days from the date of its publication in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be considered by the Central Government.

Draft

1. These rules may be called the Insurance (Second Amendment) Rules, 1975.

2. In the Insurance Rules, 1939, —

(a) in rule 10C,—

(i) to sub-rule (1), the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that in the case of the Life Insurance Corporation of India, the aforesaid return shall show the said investments subsisting as at the last day of the preceding financial year and shall be in Form IV-AAA";

(ii) in sub-rule (2),—after the words, figures and letter "shall be in Form IV-B", the words, figures and letter "and in the case of Life Insurance Corporation of India shall be in Form IV-BBB" shall be inserted;

(b) after Form IV-AA, the following Form shall be inserted namely :—

"FORM IV-AAA

[See rule 10C(1)]

Return of investment of the Controlled Fund of the Life Insurance Corporation of India as at 19 .

[See section 28A(1)]

(Please see the Notes appended to the Form)

PART A

(1) Government securities and other securities charged on the revenues of the—Central Government or of the Government of a State or guaranteed fully as regards principal and interest by the Central Government or the Government of any State.

Category of the investment	Total Face Value	Total Book Value	Remarks
(a) Government Securities .			
(b) Approved Securities .			

(2) Approved securities other than those referred to in item (1) above.

[See section 2(3)]

Category of the investment	Total Face Value	Total Book Value	Remarks

(3) Debentures or other securities for money issued with the permission of the State Government by any Municipality in a State.

Category of the investment	Total Face Value	Total Book Value	Remarks

(4) Debentures secured by a first charge on any immovable property, plant or equipment of any company which has paid interest in full for the five years immediately preceding or for at least five years out of the six or seven years immediately preceding on such or similar debentures issued by it.

Total Face Value	Total Book Value	If the investment is in any private limited company, has the prior permission of the Central Government been obtained ?	Remarks

(5)(a) Debentures secured by a first charge on any immovable property, plant or equipment of any company where, either the book value or the market value, whichever is less, of such property, plant or equipment is more than three times the value of such debentures.

Total Face Value	Total Book Value	If the investment is in any private limited company, has the prior permission of the Central Government been obtained ?	Remarks

(5)(b) Debentures convertible into shares of a company which has paid on its shares dividends of not less than four per cent including bonus for the five years immediately preceding or for at least five years out of the seven years immediately preceding.

Total Face Value	Total Book Value	If the investment is in any private limited company, has the prior permission of the Central Government been obtained ?	Remarks

(6) Cumulative Preference Shares of any company which has paid dividends on its equity shares for the five years immediately preceding or for at least five years out of the six or seven years immediately preceding, provided such preference shares have priority in payment over all the equity shares of the company in winding up.

Total Face Value	Total Book Value	If the investment is in any private limited company, has the prior permission of the Central Government been obtained ?	Remarks

(7) Cumulative Preference shares of any company on which dividends have been paid for the five years immediately preceding or for at least five years out of the six or seven years immediately preceding and which have priority in payment over all the equity shares of the company in winding up.

Total Face Value	Total Book Value	If the investment is in any private limited company, has the prior permission of the Central Government been obtained ?	Remarks

(8) Shares of any company which have been guaranteed by another company, such other company having paid dividends on its equity shares for the five years immediately preceding or for at least five years out of the six or seven years immediately preceding.

Category of the investment	Total Face Value	Total Book Value	Whether the total amount of shares of all the companies under guarantee by the guaranteeing company is not in excess of 50% of the paid up amount of preference and equity shares of the guaranteeing company.	If the investment including the uncalled liability, if partly paid-up, in the equity shares of any one company, other than the subsidiaries of the Corporation, is in excess of thirty percent of the subscribed equity share capital of the company, has the prior permission of the Central Government been obtained ? Also if the investment is in any private limited company, has the prior permission of the Central Government been obtained.	Remarks
(a) Preference Shares					
(b) Equity Shares					

(9) Shares of any company on which dividends of not less than four per cent including bonus have been paid for the five years immediately preceding or for at least five years out of the seven years immediately preceding.

Category of the investment	Total Face Value	Total Book Value	If the investment, including the uncalled liability, if partly paid-up, in the equity shares of any one company, other than the subsidiaries of the Corporation, is in excess of thirty per cent. of the subscribed equity share capital of the company, has the prior permission of the Central Government been obtained ? Also if the investment is in any private limited company, has the prior permission of the Central Government been obtained ?	Remarks
(a) Preference Shares.				
(b) Equity Shares.				

(10) Immovable property situated in India or in any other country where the Corporation is carrying on insurance business.

Total amount invested by the Corporation	Whether free from all encumbrances	Remarks

(11) First Mortgages on immovable property situated in India or in any other country where the Corporation is carrying on insurance business.

Total amount advanced on the mortgages	Whether the property mortgaged is not lease hold property with an outstanding term of less than thirty years and whether the mortgage money does not exceed fifty per cent of the value of the property.	Total outstanding amount		Remarks
		Principal	Interest	

(12) Loans to any authority or any co-operative society registered under the Co-operative Societies Act, 1912, or under any other law for the time being in force, operating a housing or building scheme in India in any case where the repayment of principal and interest is guaranteed by the Central Government or a State Government.

Total amount of loans granted	Total outstanding amounts		Remarks
	Principal	Interest	

(13) First mortgages on immovable property situated in India under any housing or building scheme of a public limited company or an establishment in public sector or a co-operative society registered under the Co-operative Societies Act, 1912 or under any other law for the time being in force.

Category of the Mortgage Loan Scheme	Total amount advanced on the mortgages	Whether the mortgage money does not exceed three-fourths of the value of the property	Total amount outstanding		Remarks
			Principal	Interest	

(14) Loans on first mortgages of immovable property under any housing or building scheme of the Corporation for the benefit of the policy-holders.

Total amount advanced on the mortgages	Whether the amount of the loan does not exceed 85% of the value of the property	Total amount outstanding		Remarks
		Principal	Interest	

(15) Loans on life interests.

Amount of Loans Advanced	Total amount outstanding		Whether value of life interest certified by an actuary in all cases	Remarks
	Principal	Interest		

(16) Loans on policies of life insurance within their surrender values issued by the Corporation or by an insurer, the assets and liabilities of whose controlled business have been transferred to and vested in the Corporation or loans to employees of the Corporation for the purpose of purchasing or constructing houses or for the purpose of purchasing motor cycles, motor cars or any other conveyances in accordance with any scheme aproved by the corporation.

Category of the loan	Total amount outstanding		Remarks
	Principal	Interest	
(a) Loans on life insurance policies other than advances under Automatic Non-forfeiture.			
(b) Advances under Automatic Non-forfeiture.			
(c) Loans under other schemes of the Corporation.			

(17) Life Interests.

Total value of life interests purchased	Whether the value is certified by the actuary in all cases	Remarks

(18) Deposits with banks included for the time being in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934, or with co-operative societies registered under the Co-operative Societies Act, 1912, or under any other law for the time being in force, the primary object of which is to finance other co-operative societies similarly registered.

Total amount of deposits held in banks/ co-operative societies, etc.	Remarks

(19) Debentures of, or shares in co-operative societies registered under the Co-operative Societies Act, 1912, or under any other law for the time being in force.

Category of the investment	Total Face Value	Total Book Value	Remarks
(a) Debentures.			
(b) Shares.			

(20) Other investments as the Central Government may, by a notification in the Official Gazette, declare to be approved investments under sub-section (1) of section 27A.

Category of the investment	Total Face Value	Total Book Value	Remarks

PART B

(Relating to amounts invested or held invested otherwise than in scheduled investments, after securing the unanimous recommendation of the Investment Committee or if no such recommendation can be obtained on a resolution of the Corporation passed by a majority of at least three-fourths of the members present at the meeting.)

(1) 15 per cent. of the Controlled Fund.

(2) Particulars of investments.

Category of the investment	Total Face Value	Total Book Value	If the investment, including the uncalled liability, if partly paid-up, in the equity shares of any one company, other than the subsidiaries of the Corporation, is in excess of thirty per cent. of the subscribed equity share capital of the company, has the prior permission of the Central Government been obtained ? Also if the investment is in any private limited company, has the prior permission of the Central Government been obtained ?	Remarks

PART C

Particulars of investments other than those included in Part A, Part B and Part D

Category of the investment	Total Face Value	Total Book Value	Remarks

PART D

Particulars of investments made, in the equity shares of any one company, in excess of thirty per cent of the subscribed equity share capital, including the uncalled liability on partly paid-up shares, of the company

I

Total Face Value	Total Book Value	Amount held invested in excess of the thirty per cent. of the subscribed equity share capital of the company including the uncalled liability of partly paid-up shares	Whether the investment included in Part A or Part B of the return				Whether prior permission of the Central Government has been obtained for the investment	Remarks
			Part A		Part B			
			Face Value	Book Value	Face Value	Book Value		

II

Particulars of investments made in the shares or debentures of any private limited company

Category of the investment	Total face Value	Total Book Value	Whether the investment included in Part A or Part B of the return				Whether prior permission of the Central Government has been obtained for the investment	Remarks
			Part A		Part B			
			Face Value	Book Value	Face Value	Book Value		

I hereby certify that—

(a) the particulars furnished in the return are true and complete to my knowledge,

(b) the various investments have been properly classified in the appropriate Parts of the return, and

(c) all the investments conform and have at all times conformed to the provisions of the various relevant sub-sections of section 27A of the Insurance Act, 1938 in its application to the Life Insurance Corporation of India.

Managing Director

Date :

NOTES TO FORM IV-AAA

I. In respect of investments in Part A of the return, particulars of all investments which were scheduled at the time of the last return but ceased to be so subsequently should be given separately.

II. Figures of investments in respect of Capital Redemption (including Annuity Certain) Insurance Business should be given separately.

III. Figures of investments outside India should be given separately.";

(c) After Form IV-BB, the following Form shall be inserted, namely :—

"FORM IV-BBB

[See rule 10C(2)]

Return showing all the changes that occurred in the investments of the Controlled Fund of the Life Insurance Corporation of India during the half year ending 19 .

[See section 28A(2)]

(Please see the Notes appended to the Form)

(1) Purchases or additions during the half-year ending 19 .

Category of the Investment	Total Face Value	Total Book Value	State whether the additions, together with the existing holding, if any, are— (a) if in the equity shares of any one company, more than thirty per cent of the subscribed equity share capital of the company (the uncalled liability on partly paid shares to be added); and (b) in any private limited company, without the prior permission of the Central Government.	Remarks

(2) Sales or deductions during the half-year ending 19 .

Category of the investment	Total Face Value of investment sold or realised.	Total Book Value of the investment sold or realised.	Total amount realised	Remarks

NOTES TO FORM IV-BBB

I. Particulars relating to Scheduled and Non-Scheduled investments should be shown separately.

II. Figures of investments in respect of Capital Redemption (including Annuity Certain) Insurance Business should be given separately.

III. Figures of investments outside India should be given separately."

[F. No. 98(1)-Ins.II/74.]

N. C. JAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1975

सीमा-शुल्क

का. आ. 5053.—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जामनगर को सीमाशुल्क विमान पत्तन नियत करती है।

[सं. 97/75-सी. शु./फा. सं. 481/39/75-सी. शु.-VII]

यू. के. सेन, अवर सचिव

New Delhi, the 20th November, 1975

Customs

S.O. 5053.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby appoints Jamnagar to be customs airport.

[No. 97/75-Customs/F. No. 481/39/75-Cus. VII]

U. K. SEN, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1975

का० आ० 5054.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई बोर्ड की अधिसूचना सं० 1060 तारीख 26 अगस्त, 1975 (फा० सं० 187/2/74-आई टी (ए० आई०) में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

"यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 1975 से प्रभावी होगी" के स्थान पर "यह अधिसूचना 15 सितम्बर, 1975 से प्रभावी होगी" पढ़ें।

[सं० 1088/फा० सं० 187/2/74-आई० टी० (ए० आई०)]

एम० शास्त्री, अवर सचिव

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 20th September, 1975

Income-Tax

S.O. 5054.—In the Board's Notification No. 1060 dated 26th August, 1975 F. No. 187/2/74-IT(AI) issued under

sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) the following amendment shall be made :—

FOR 'This notification shall take effect from 1st of September, 1975.

READ 'This Notification shall take effect from 15th September, 1975.

[No. 1088 /F. No. 187/2/74-IT(AI)]
M. SHASTRI, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1975

का०आ० 5055.—आय-कर (प्रमाण-पत्र कार्यवाहियां) नियम, 1962 के नियम 6 के अनुसरण में, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश करता है कि सर्व श्री एम० पी० नायर और पी० ए० अब्राहम, जिन्हें आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) के अधीन कर वसूली अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, साथ ही साथ, महाराष्ट्र राज्य में, मुम्बई नगर और मुम्बई उपनगरीय जिलों के सभी क्षेत्रों की बाबत अधिकारिता का प्रयोग करेंगे।

2. बोर्ड के आदेश सं० 380 (फा० सं० 404/15/73-आई०टी० सी०सी०) तारीख 15 जून, 1973 के अधीन सर्वश्री आई० बी० भसीन और डी० पी० सुन्दरम् को प्रदत्त अधिकारिता पैरा 1 में वर्णित अधिकारियों के कर वसूली अधिकारियों के रूप में कार्य-भार ग्रहण करने की तारीख से वापस ली जाती है।

3. यह आदेश पैरा 1 में वर्णित अधिकारियों के कर वसूली अधिकारियों के रूप में कार्य-भार ग्रहण करने की तारीख से प्रवृत्त होगा।

[सं० 1100 (फा० सं० 404/116/75-आई०टी०सी०सी०)]

ORDER

New Delhi, the 25th September, 1975

S.O. 5055.—In pursuance of Rule 6 of the Income-tax (Certificate Proceedings) Rules, 1962, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that S/Shri M. P. Nair, and P. A. Abraham authorised by the Central Government to exercise the powers of Tax Recovery Officers under sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act (43 of 1961), shall concurrently exercise jurisdiction in respect of all the areas in Bombay City and in the Bombay Suburban Districts in the State of Maharashtra.

2. The jurisdiction conferred upon S/Shri I. B. Bhasin and D. P. Sundaram under Board's Order No. 380 (F. No. 404/15/73-ITCC) dated 15th June, 1973 is hereby withdrawn with effect from the date of officers in paragraph 1 take over as Tax Recovery Officers.

3. This Order shall come into force with effect from the date the officers in paragraph 1 take over as Tax Recovery Officers.

[No. 1100 (F. No. 404/116/75-ITCC)]

आदेश

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 1975

का०आ० 5056.—इस विषय में सभी पूर्वतन आदेशों को अधिक्रान्त करते हुए और आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाहियां) नियम, 1962 के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश करता है कि नीचे की अनुसूची के स्तम्भ 2 में वर्णित अधिकारी, जिसे आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 (44) (iii) के अधीन कर वसूली अधिकारी नियुक्त किया गया है, उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 में वर्णित क्षेत्रों की बाबत कर वसूली अधिकारी के अपने कृत्यों का पालन करेगा :—

अनुसूची

क्रम सं०	कर वसूली अधिकारी का नाम	अधिकारिता
1	2	3
1.	श्री एफ० सी० पुरी	जम्मू-कश्मीर और पंजाब राज्यों के क्षेत्र।

2. यह आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा।

[सं० 1113 (फा० सं० 404/153/75-आई०टी०सी०सी०)]

ORDER

New Delhi, the 1st October, 1975

S. O. 5056.—In supersession of all the previous orders on the subject and in exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax (Certificate Proceedings) Rules, 1962, the Central Board of Direct Taxes hereby direct that the Officer mentioned in column 2 of the Schedule below, who has been appointed as Tax Recovery Officer under section 2(44)(iii) of the Income-tax Act, 1961 shall perform his functions of Tax Recovery Officer in respect of the areas as mentioned in column 3 of the said Schedule :—

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Tax Recovery Officer	Jurisdiction
1	2	3
1.	Shri F. C. Puri	Areas of the States of Jammu & Kashmir and Punjab.

2. This Order shall come into force with immediate effect.

[No. 1113 (F. No. 404/153/75-ITCC)]

आदेश

का०आ० 5057.—आय-कर (प्रमाणपत्र कार्यवाहियां) नियम, 1962 के नियम 6 के अनुसरण में, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निदेश करता है कि श्री एच० सी० अदलखा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, साथ ही साथ, महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित जिलों की बाबत अधिकारिता का प्रयोग करेंगे :—

1. पुणे
2. नासिक
3. थाणा
4. कोलाबा
5. कोल्हापुर
6. सांगली
7. शोलापुर
8. अहमदनगर
9. जलगांव
10. धूलिया
11. सतारा
12. रत्नगिरी

2. आदेश सं० 873 (फा० सं० 404/62/75-आई०टी०सी०सी०) तारीख 15 अप्रैल, 1975 के अधीन श्री एस० डी० मधाले को प्रदत्त अधिकारिता 1 अक्तूबर, 1975 से वापस ली जाती है।

3. यह आदेश 1 अक्तूबर, 1975 से प्रवृत्त होगा।

[सं० 1115 (फा० सं० 404/61/75-आई०टी०सी०सी०)]

वी० पी० मिसल, सचिव

ORDER

S.O. 5057.—In pursuance of Rule 6 of the Income-tax (Certificate Proceedings) Rules, 1962, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that Shri H. C. Adlakha authorised by the Central Government to exercise the powers of tax Recovery Officer under sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), shall concurrently exercise jurisdiction in respect of the following districts in the State of Maharashtra:—

1. Poona
2. Nasik
3. Thana
4. Kolaba
5. Kolhapur
6. Sangli
7. Sholapur
8. Ahmednagar
9. Jalgaon
10. Dhulia
11. Satara
12. Ratnagiri

2. The jurisdiction conferred upon Shri S. D. Madhale, under Order No. 873 (F. No. 404/61/75-ITCC) dated 15th April, 1975 is hereby withdrawn with effect from the 1st October, 1975.

3. This order shall come into force with effect from the 1st October, 1975.

[No. 1115 (F. No. 404/61/75-ITCC)]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 13th November, 1975

S.O. 5058.—In Board's order No. 1113 (F. No. 404/153/75-ITCC) dated the 1st October, 1975 for the words, brackets and figures "sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of" shall be substituted by the words and figures, namely :—

"Rule 6 of"

[No. 1152 (F No. 404/153/75-ITCC)]
V. P. MITTAL, Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजाइन अनुभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1975

का० आ० 5059.—21 जून, 1975 के भारत के राजपत्र के भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) के पृष्ठ 2141-2143 पर हिन्दी में प्रकाशित 20 मई, 1975 की अधिसूचना संख्या का० आ० 1845 के सन्दर्भ में।

"पृष्ठ भाग" नामक पैरा में निम्नलिखित पंक्तियों :—

"अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में दिये गये मूल्य के ऊपर और नीचे हिन्दी में शब्द 'भारत' और अंग्रेजी में शब्द 'Rupee' होंगे" के स्थान पर ये पंक्तियां रखी जाएं :—

"अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में दिये गये मूल्य के ऊपर और नीचे हिन्दी में शब्द 'रुपया' और अंग्रेजी में शब्द 'Rupee' होंगे।"

[संख्या एफ० 1/3/73-बजाइन]
एस० एल० दत्त, अवर सचिव

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1975

का० आ० 5060.—कृषि पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 (1963 का 10) की धारा 20 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, 10 वर्षों में परिपक्व होने वाले 10 करोड़ रुपये (दस करोड़ रुपये) के उन बाण्डों पर देय ब्याज की दर 6 प्रतिशत (छः प्रतिशत) वार्षिक निर्धारित करती है, जो कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा 23 और 24 अक्तूबर, 1975 की अवधि में 99.00 रु० प्रतिशत पर जारी किये जायेंगे तथा उक्त रकम से 10 प्रतिशत अधिक तक प्राप्त अंशदान रख लेने का अधिकार निगम को होगा।

[सं० एफ० 14-64/75-ए० सी०]
हृषी केश गुहा, अवर सचिव

(Department of Banking)

New Delhi, the 15th October, 1975

S.O. 5060.—In pursuance of clause (a) of sub-section (1) of section 20 of the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963 (10 of 1963), the Central Government hereby fixes 6% (Six per cent) per annum as the rate of interest payable on the bonds of Rs. 10 crores (Rupees ten crores) to be issued at Rs. 99.00% during the period 23rd to 24th October, 1975 with the right to retain subscription received upto 10 per cent in excess of the said amount with a maturity period of 10 years by the Agricultural Refinance Corporation.

[No. F. 14-64/75-AC]
H. K. GUHA, Under Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1975

का० आ० 5061.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में अक्तूबर, 1975 के दिनांक 31 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा

इशू विभाग

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	36,86,02,000		सोने का सिक्का और बुलियन:—		
			(क) भारत में रखा हुआ	182,52,56,000	
			(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	..	
मंचलन में नोट	6293,03,20,000		विदेशी प्रतिभूतियां	121,73,97,000	
			जोड़		304,26,53,000
			रुपये का सिक्का		15,21,77,000
जारी किये गये कुल नोट		6329,89,22,000	भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य पत्र		6010,40,92,000
					..
कुल देयताएं		6329,89,22,000	कुल आस्तियां		6329,89,22,000

दिनांक : 6 नवम्बर, 1975

[सं०फ० 10(1)/75-बी० ओ० I]
बी० वी० चारी, उप-गवर्नर

31 अक्तूबर, 1975 को भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुकता पूंजी	5,00,00,000	नोट	36,86,02,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	5,45,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण		छोटा सिक्का	4,44,000
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	334,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल	
राष्ट्रीय कृषि ऋण		(क) देशी	87,40,44,000
(स्थिरीकरण) निधि	140,00,00,000	(ख) विदेशी	..
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण	390,00,00,000	(ग) सरकारी खजाना बिल	395,09,48,000
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि		विदेशों में रखा हुआ बकाया*	779,00,01,000
जमाराशियां:--		निवेश**	858,08,25,000
(क) सरकारी		ऋण और अग्रिम:--	
(i) केन्द्रीय सरकार	50,80,35,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	..
(ii) राज्य सरकारें	8,91,95,000	(ii) राज्य सरकारों को@	167,27,43,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम:--	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	579,17,70,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को†	207,82,50,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	17,29,36,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को††	354,75,09,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,64,47,000	(iii) दूसरों को	13,89,06,000
(iv) अन्य बैंक	68,93,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) ऋण और अग्रिम:--	
		(i) राज्य सरकारों को	69,59,75,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	13,16,74,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों को	..
		(iv) कृषि पुनर्वित निगम को	86,70,00,000
(ग) अन्य	1245,31,02,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	10,60,13,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	
देय बिल	171,69,81,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	94,57,00,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से	
अन्य देयताएं	760,92,71,000	ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	333,25,56,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश	..
		अन्य आस्थियां	347,28,93,000
रुपये	3855,46,30,000	रुपये	3855,46,30,000

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

†भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 45,17,00,000/- रुपये शामिल हैं।

††राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

दिनांक : 6 नवम्बर, 1975

बी० बी० जारी, उप-गवर्नर
[सं० 10 (1)/75-बी०-ओ I]
च० व० मीरचन्दानी, अवर सचिव

RESERVE BANK OF INDIA

S.O.5061—: An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934, for the week ended the 31st day of October 1975

ISSUE DEPARTMENT

Liabilities	Rs.	Rs.	Assets	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	36,86,02,000		Gold Coin and Bullion :—		
Notes in circulation	6293,03,20,000		(a) Held in India	182,52,56,000	
			(b) Held outside India	..	
Total notes issued		6329,89,22,000	Foreign Securities	121,73,97,000	
			Total		304,26,53,000
			Rupee Coin		15,21,77,000
			Government of India Rupee Securities		6010,40,92,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
Total Liabilities		6329,89,22,000	Total Assets		6329,89,22,000

Dated the 6th day of November 8975.

V.V. CHARI, Dy. Governor.

New Delhi, the 11th November, 1975

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 31st October, 1975

Liabilities	Rs.	Assets	Rs.
Capital Paid up	5,00,00,000	Notes	36,86,02,000
		Rupee Coin	5,45,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	4,44,000
		Bills Purchased and Discounted :—	
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	334,00,00,000	(a) Internal	87,40,44,000
		(b) External	..
		(c) Government Treasury Bills	395,09,48,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	140,00,00,000	Balances Held Abroad*	779,00,01,000
		Investments**	858,08,25,000
		Loans and Advances to :—	
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	390,00,00,000	(i) Central Government	..
		(ii) State Governments@	167,27,45,000
		Loans and Advances to :—	
		(i) Scheduled Commercial Banks†	207,82,50,000
Deposits :—		(ii) State Co-operative Banks††	354,75,09,000
Government		(iii) Others	13,89,06,000
(i) Central Government	50,80,35,000	Loans, Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	
(ii) State Governments	8,91,95,000		
(b) Banks		(a) Loans and Advances to :—	
(i) Scheduled Commercial Banks	579,17,70,000	(i) State Governments	69,59,75,000
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	17,29,36,000	(ii) State Co-operative Banks	13,16,74,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,64,47,000	(iii) Central Land Mortgage Banks	..
(iv) Other Banks	68,93,000	(iv) Agricultural Refinance Corporation	86,80,000,00
(c) Others	1245,31,02,000	(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	10,60,13,000
Bills Payable	171,69,81,000		
Other Liabilities	760,92,71,000	Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	94,57,00,000
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	333,25,56,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	
		Other Assets	347,28,93,000
Rupees	3855,46,30,000	Rupees	3855,46,30,00

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

†Includes Rs. 45,17,00,000/- advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

†† Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund.

V. V. CHARI, Dy. Governor

C.V. MIRCHANDANI, Under. Secy.

Dated the 6th day of November, 1975.

[F. No. 10(1)/75-BOI]

संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1975

का० आ० 5062.--सर्वश्री किरण एक्सपोर्ट प्रा० लि० एम-97, कनाट सर्कस, नई दिल्ली को कोलतार रंजको (अनुमेय मदो) और लाइसेंस से संलग्न सूची के अनुसार अन्य मदों के आयात के लिए 571 रुपये मूल्य के लिए जारी किए गए लाइसेंस सं० पी०/के०/1378565/सी० दिनांक 28-11-73 की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति लाइसेंसधारी द्वारा समर्पित की गई है और यह सूचना दी गई है कि उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति पार्टी से खो गई/अस्थानस्थ हो गई है।

अद्यतन यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की विषयक धारा 9(सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त लाइसेंस सं० पी०/के०/1378565/सी०/दिनांक 28-11-73 मूल्य 571 रुपये (सीमा शुल्क निकासी प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति) को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

[सं० काटन 13/ए० जे० /73/एस०सी०-5/सी०एल०ए०/3281]

एम० जी० गोम्बर, उप-मुख्य नियन्त्रक,
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक

OFFICE OF THE JT. CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

ORDER

New Delhi, the 29th September, 1975

S.O. 5062.—The exchange control copy of L. No. P/K/1378565/C dated 28-11-1973 for Rs. 571/- for Import of Coaltar Dyes (Permissible Items) and other items as per list attached. Issued to M/s. Kiran Export P. Ltd., M-97, Connaught Circus New Delhi, has been surrendered by the licence and the custom copy of the said licence is reported to have been lost/misplaced by the party.

2. In exercise of the powers conferred on me under sub-ject clause 9(c) in the Import Trade Control Order 1955 dated 7-12-1955 as amended upto date. The said licence No. P/K/1378565/C dated 28-11-1973 for Rs. 571/- (Custom Purposes as well as Exchange Control Copy) is hereby cancelled.

[F. No. Cotton-13/AJ. 73/SC. V/CLA/3281]

M. G. GOMBAR, Dy. Chief Controller
for Jt. Chief Controller

उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

हैदराबाद, 26 अगस्त, 1975

का० आ० 5063.--सर्वश्री इन्टरनेशनल फूड, पी-5, उप्पल रोड, हैदराबाद को अप्रैल-मार्च, 74 नीति के परिशिष्ट 28 के अनुसार सरणीबद्ध और प्रतिबन्धित से भिन्न सुरभित रसायनों की अनुमेय किस्मों, सोया लेसिथिन और लैक्टोज मदों के यू०के० से आयात के लिए 15000 रुपये (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) मूल्य का एक आयात लाइसेंस सं० पी०/एस०/1744124/आर०एम०एल०/50/डब्ल्यू०/37-38, दिनांक 30-3-74 प्रदान किया गया था।

उन्होंने सीमाशुल्क प्रयोजन और मुद्रा विनिमय नियंत्रण दोनों प्रतियो की अनुलिपि प्रतियों के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस (दोनों प्रतियां) बिल्कुल भी उपयोग किए बिना ही खो गया हैं।

अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मै संतुष्ट हूं कि मूल लाइसेंस दो प्रतियों में खो गया है और निदेश देता हूं कि लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां दोनों की अनुलिपि प्रतियां आवेदक को जारी की जानी चाहिएं। मूल लाइसेंस एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

[सं० 1-8/एस०एस०आई०/एन०आर०/ए०एम०-74/003756/हैद०]

के० एम० आर० मेनन, उप-मुख्य नियंत्रक

OFFICE OF THE DY. CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS & EXPORTS

ORDER

Hyderabad, the 26th August, 1975

S.O. 5063.—M/s. International Food, P-5, Uppal Road, Hyderabad were granted an import licence No. P/S/1744124/R/ML/50/W/37-38 dated 30-3-1974 for Rs. 15,000/- (Rupees fifteen thousands only) for the item permissible varieties of Aromatic Chemicals as per appendix 28 to April-March'74 policy other than canalised and restricted Soya Lecithin and Lactose from U.K.

They have applied for duplicate copies of both Customs purposes and Exchange Control copies on the ground that original licence *(in duplicate) has been lost and without* having been utilised as all—

In support of their contention they have filed an affidavit. I am satisfied that the original licence in duplicate is lost and direct that duplicate copies of both Customs purposes and Exchange Control copies of licence should be issued to the applicant. The original licence is hereby cancelled.

[No. 1-8/SSI/NP/AM-74/003756|Hyd.]

K. M. R. MENON, Dy. Chief Controller

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1975

का० आ० 5064.--सर्वश्री भारत अर्थ मूवर्स लि०, यूनिटी बिल्डिंग, ज०सी० रोड, बंगलौर-2 को मृदवाही मशीनरी आदि के फालतू पुर्जों के आयात के लिए लाइसेंस संख्या आई०/ए०/1406973/सी०/एक्स०एक्स० 56/एच०/39-40, दिनांक 6-2-75 प्रदान किया गया था। दि भारत-अर्थ मूवर्स लि० ने सूचना दी है कि लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति अस्थानस्थ हो गई/खो गई है और उन्होंने उसकी अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए निवेदन किया है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई है और निदेश देती है कि इसकी अनुलिपि प्रति जारी की जाए।

लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति रद्द करदी गई है। इसकी अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[सं० एन०डी०-419/74-75/पी०एल०एम०/बी०705]

अ.शुतोश मुखर्जी, उप-मुख्य नियंतक,
कृते मख्य नियंत्रक

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

ORDER

New Delhi, the 25th October, 1975

S.O. 5064.—M/s. Bharat Earth Movers Ltd. Unity Building J. C. Road Bangalore-2 was granted licence No. I/A/1406973/C/XX/56/H/39.40 dated 6-2-1975 for the import of Spare Parts of Earth Moving Machinery etc. The Bharat Earth Movers Ltd, has reported that the customs copy of the licence has been misplaced/lost and he has requested to issue duplicate copy of the same.

In support of their contention the applicant has filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the customs copy of the said licence has been lost and directs that the duplicate copy of the said customs purpose copy of the licence be issued.

The original customs purpose copy of the licence has been cancelled. A Duplicate copy of the same is being issued separately.

[No. ND/419/74-75/PLS/B/705]

Sd/- Illegible

Dy. Chief Controller,
for Chief Controller

आदेश

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1975

का०आ० 5065.—मुख्य अभियन्ता, विद्युत, तमिलनाडु विद्युत बोर्ड, 157 अन्ना सलाई, मद्रास को 15, 77, 870 रुपये (पन्द्रह लाख सत्तर हजार आठ सौ सत्तर रुपये मात्र) मूल्य का एक आयात लाइसेंस सं० जी०/एच०/2075340/सी०/सी० आर०/46/एच०/35-36 दिनांक 23 फरवरी, 1973 प्रदान किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह बताया गया है कि मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति सीमाशुल्क प्राधिकरण मद्रास और स्टेट बैंक आफ इंडिया में पंजीकृत की गई थी और उसका 13,90,375 रुपये (तेरह लाख, नब्बे हजार तीन सौ पचहत्तर रुपये मात्र) के लिए उपयोग किया गया था और उस पर 1,87,495 रुपये का उपयोग करना बाकी था।

इस तर्क के समर्थन में आवेदक ने VII महानगरीय मजिस्ट्रेट के सामने विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं संतुष्ट हूं कि उक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति खो गई है। इसलिए, यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955, दिनांक 7-12-1955 की उप-धारा 9 (सी०सी०) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मुख्य अभियन्ता, विद्युत तमिलनाडु विद्युत् बोर्ड, 157 अन्ना सलाई, मद्रास को जारी किए गए लाइसेंस सं० जी०/एच०/2075340/सी०/सी०/आर०/46/एच०/35-36, दिनांक 23-2-73 की उक्त मूल सीमाशुल्क निकासी प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क निकासी प्रति की अनुलिपि प्रति लाइसेंस-धारी को अलग से जारी की जा रही है।

[सं० सी०जी०-2/एच०ई०पी०/टी०एम०-8/72-73/681]

के०सी० शेखरन, उप-मुख्य नियंत्रक

ORDER

New Delhi, the 7th November, 1975

S.O. 5065.—The Chief Engineer for Electricity, Tamil Nadu Electricity Board, 157, Anna Salai, Madras, were granted an import licence No. G/H/2075340/C/CR/46/H/35/36 dated 23rd February, 1973 for Rs. 15,77,870 (Rupees fifteen Lakhs Seventy Seven thousand Eight hundred and Seventy only). They have applied for the issue of a duplicate customs purposes copy of the said licence on the ground that the original customs purposes copy has been lost/misplaced. It is further stated that the original customs purposes copy was registered with the Customs Authorities at Madras and State Bank of India, Madras and utilised for Rs. 13,90,375 (Rupees Thirteen Lakhs Ninety thousand, Three hundred and Seventy five only) and the balance available on it was Rs. 1,87,495.

In support of this contention, the applicant has filed an affidavit, duly sworn in before the VII Metropolitan Magistrate. I am accordingly satisfied that the original customs purposes copy of the said licence has been lost. Therefore, in exercise of the powers conferred under Sub-Clause 9 (cc) of the Imports (Control) Order, 1955, dated 7-12-1955 as amended, the said original customs purposes copy of the licence No. G/H/2075340/C/CR/46/H/35-36 dated 23-2-1973 issued to The Chief Engineer for Electricity, Tamil Nadu Electricity Board, 157, Anna Salai, Madras is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs purposes copy of the said licence is being issued separately to the licensee.

[No. CG.II/HEP/TN-8/72-73/681]

K. C. SEKHARAN, Dy. Chief Controller

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1975

का०आ० 5066.—आई०डी०आर०ए०/6/16 उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं विकास परिषद् (कार्यविधि) नियम, 1952 के नियम 5(1) को साथ पढ़ते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के कार्यालय में निरीक्षण निदेशक श्री गोवर्धन एन० गिडवानी को भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के आदेश संख्या दिनांक 20 जून, 1974 के द्वारा गठित मशीनी औजारों के निर्माण अथवा उत्पादनरत अनुसूचित उद्योगों की विकास परिषद् का सदस्य नियुक्त करती है और निदेश देती है कि उक्त आदेश में निम्नलिखित प्रतिस्थापन किया जाएगा; अर्थात् :—

उक्त आदेश में श्री ए०एन० कम्पानी से सम्बन्धित प्रविष्टि संख्या 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि निविष्ट की जाएगी; अर्थात् :—

"21. श्री गोवर्धन एन० गिडवानी,
निरीक्षण निदेशक,
पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय का कार्यालय,
नई दिल्ली।"

[एफ० सं० 4-47/73-एम०ई(०)]

एस० एम० घोष, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

(Department of Heavy Industry)

ORDER

New Delhi, the 7th November, 1975

S.O. 5066.—IDRA/6/16.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (D & R) Act, 1951 (65 of 1951), read with rule 5(1) of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government

hereby appoints till 19th June, 1976, Shri Goverdhan N. Gidwani, Director of Inspection in the Office of the Directorate General of Supplies and Disposals to be member of the Development Council for Machine Tools constituted by the Order of the Government of India in the Ministry of Heavy Industry Order No. dated the 20th June, 1974, for the scheduled industries engaged in the manufacture or production of Machine Tools and directs that the following substitution shall be made in the said Order, namely :—

In the said Order, for entry No. 21 relating to Shri A. N. Kampani, the following entry shall be inserted, namely :—

"21. Shri Goverdhan N. Gidwani, Director of Inspection, Office of the Directorate General of Supplies & Disposals, New Delhi

[F. No. 4-47/73-MT]

S. M. GHOSH, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1975

का०आ० 5067.—केन्द्रीय सरकार विकास परिषद् (प्रक्रिया सम्बन्धी) नियम, 1952 के नियम 8 के साथ पठित, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री टी०के० शेषाद्रि को श्री आर०के० पोद्दार के स्थान पर आटोमोबाइल, आटोमोबाइल सहायक उद्योगों, परिवहन यान उद्योगों ट्रैक्टरों, मिट्टी हटाने के उपस्कर और अन्तर्दहन इंजनों के विनिर्माण और उत्पादन में रत अनुसूचित उद्योगों के लिए विकास परिषद् का सदस्य नियुक्त करती है, और भारत के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) के आदेश सं० का०आ० 116-आई०डी०आर०ए०/6/16 तारीख 1 जनवरी, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, क्रम सं० 28 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"28 श्री टी०के० शेषाद्रि,

अध्यक्ष,

फैडरेशन आफ आटोमोबाइल डीलर्स ऐसोसिएशंस

534, सरदार वल्लभभाई पटेल मार्ग, मुम्बई-400007

[फा० सं० 15(5)/74-ए०ई०आई०(I)]

वी० पी० गुप्त, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th November, 1975

S.O. 5067.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act 1951 (65 of 1951), read with rule 8 of the Development Councils (Procedural) Rules 1952, the Central Government hereby appoints Shri T. K. Seshadri vice Shri R. K. Poddar, to be a member of the Development Council for the Scheduled Industries engaged in the manufacture and production of Automobiles, Automobile Ancillary Industries, Transport Vehicles Industries, Tractors, Earth Moving Equipment and Internal Combustion Engines, and makes the following further amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Deptt. of Heavy Industry) No. S.O. 116-IDRA/6/16, dated the 1st January, 1975, namely :—

In the said Order, for serial No. 28 and the entries relating thereto, the following serial No. and entries shall be substituted, namely :—

"28. Shri T. K. Seshadri,
President,
Federation of Automobile Dealers Associations, 534, Sardar Vallabhbhai Patel Road, Bombay-400007."

[F. No. 15(5)/74-AEI(I)]

V. P. GUPTA, Under Secy.

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1975

का०आ० 5068.—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन लुधियाना ग्रेन एक्सचेंज लिमिटेड, लुधियाना द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किये गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को बिनौला की अग्रिम संविदाओं के बारे में, 12 दिसम्बर, 1975 से 11 दिसम्बर, 1976 (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2 एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

[सं० 12(18)—आई०टी०/75]

(Department of Civil Supplies & Cooperation)

New Delhi, the 11th November, 1975

S.O. 5068.—The Central Government having considered in consultation with the Forward Markets Commission the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act 1952 (74 of 1952) by the Ludhiana Grain Exchange Ltd., Ludhiana and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of one year from the 12th December, 1975 to the 11th December, 1976 (both days inclusive), in respect of forward contracts in cottonseed.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(18)-IT/75]

का०आ० 5069.—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन सुरेन्द्र नगर काटन आयल एण्ड आयल सीड्स एसोसिएशन लि० सुरेन्द्र नगर द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किये गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को कपास की अग्रिम संविदाओं के बारे में, 23 नवम्बर 1975 से 22 नवम्बर 1976 (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2 एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

[सं० 12(19)-आई०टी०/75]

के० एस० बाजवा, अवर सचिव

S.O. 5069.—The Central Government having considered in consultation with the Forward Markets Commission the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Surendranagar Cotton Oil and Oilseeds Association Ltd., Surendranagar, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said association for a further period of one year from the 23rd November, 1975 to the 22nd November, 1976 (both days inclusive), *in respect of forward contracts in kapas.*

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(19)-IT/75]

K. S. BAJWA, Under Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1975

का० आ० 5070.—कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की धारा (1) के अधीन, भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 233, तारीख 9 जनवरी, 1974 द्वारा, केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 3585.00 एकड़ (लगभग) या 1450.78 हैक्टेयर (लगभग) भूमियों में कोयला के लिए पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और उक्त भूमियों के बारे में उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना नहीं दी गई है;

अतः, अब, धारा 7 की उक्त उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, 9 जनवरी, 1976 से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की और अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके अन्दर केन्द्रीय सरकार उक्त भूमियों को या उक्त भूमियों में या उन पर किन्हीं भी अधिकारों को अर्जित करने के अपने आशय की सूचना दे सकेगी।

अनुसूची

पाठाखेड़ा खण्ड III

पाठाखेड़ा कोयला क्षेत्र (मध्य प्रदेश)

सं० ड्रा० रा० 135/73

तारीख 23-11-73

क्रम सं०	जिला	ग्राम संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	बागदोना	453/1	बेतुल	बेतुल		भाग
2.	सोवापुर	—	,,	,,		,,
3.	भोगोईखापा	—	,,	,,		,,
4.	आरक्षित वन	—	,,	,,		,,

कुलक्षेत्र :—3585.00 एकड़ (लगभग)
या 1450.78 हैक्टेयर (लगभग)

सीमा वर्णन :

ए-बी लाइन, सोवापुर और बागदोना ग्रामों से होकर जाती है।

बी-सी-डी-ई लाइन, बागदोना ग्राम से होकर बागदोना और सोवापुर ग्रामों की आंशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ, सोवापुर ग्राम और आरक्षित वन की सामान्य सीमा के साथ-साथ, तोवानाला की आंशिक दक्षिणी सीमा के साथ-साथ [अर्थात् कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 7(1) के अधीन अधिसूचित पाठाखेड़ा खण्ड II की आंशिक सामान्य सीमा के साथ-साथ] जाती है।

ई-एफ लाइन, आरक्षित वन क्षेत्र में तोवानाला की आंशिक दक्षिणी सीमा के साथ-साथ जाती है।

एफ-जी लाइन आरक्षित वन से होकर जाती है।

जी-ए लाइन, आरक्षित वन भोगोईखापा ग्राम से होकर तथा सोवापुर ग्राम में तोवानाला की आंशिक दक्षिणी सीमा के साथ-साथ जाती है और आरम्भिक बिन्दु 'ए' पर मिलती है।

[फा० सं० 25/10/73-सी०-5/सी०ई०एल०]

एस० आर० ए० रिजवी, उप-सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 12th November, 1975

S. O. 5070.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S.O. 233 dated the 9th January, 1974, under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and development) Act, 1957 (20 of 1957) the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in lands measuring 3585.00 acres (approximately) or 1450.78 hectares (approximately) in the locality specified in the Schedule appended hereto;

And Whereas in respect of the said lands, no notice under sub-section (1) of section 7 of the said Act has been given;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the said sub-section (1) of section 7, the Central Government hereby specifies a further period of one year commencing from the 9th January, 1976, as the period within which the Central Government may give notice of its intention to acquire the said lands or any rights in or over such lands.

SCHEDULE

Pathakhera Block-III

Pathakhera Coalfield (Madhya Pradesh)

No. Drg. Rev/135/73
Dated 23-11-73

Sl. No.	Village Number	Tahsil	District	Area	Remarks
1. Bagdona	453/1	Betul	Betul		Part
2. Sovapur	—	,,	,,		,,
3. Bhogoikhapa	—	,,	,,		,,
4. Reserve Forest	—	,,	,,		,,

Total Area :—3585.00 acres (approximately)
or :—1450.78 hectares (approximately

BOUNDARY DESCRIPTION :—

A–B line passes through villages Sovapur and Bagdona.

B–C–D–E line pass through village Bagdona, along part common boundary of villages Bagdona & Sovapur, common boundary of villages Sovapur & Reserve Forest, along part Southern boundary of Towa Nala (i.e. along the part common boundary of Pathakhera Block-II notified u/s 7(1) of C.B.A. (A&D) Act, 1957).

E–F line passes along the part Southern Boundary of Towa Nala in Reserve Forest area.

F–G line passes through Reserve Forest.

G–A line passes through Reserve Forest, village Bhogoikhapa and along the part Southern boundary of Towa Nala in village Sovapur and meets at starting point 'A'.

[F.No. 25/10/73-C5/CEL]
S.R.A. RIZVI, Dy. Secy.

कार्यालय महानिदेशक नागर विमानन

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1975

का०आ० 5071.—विमान नियमावली, 1937 के नियम 78-क का अनुपालन करते हुए महानिदेशक नागर विमानन उक्त नियम के उपनियम (i) के प्रयोजनार्थ नीचे दी गई सारणी के खाना 1 में निर्दिष्ट क्षेत्र,एतद्द्वारा अधिसूचित करते हैं और उसके तदनुरूपी खाना 2 और 3 में उल्लिखित राशि ऐसी राशि के रूप में निर्दिष्ट करते हैं जिसका भुगतान करने पर उक्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक प्रवेश टिकट प्राप्त किया जा सकता है ।

सारणी

क्षेत्र का विवरण	प्रत्येक प्रवेश टिकट के लिए देय राशि	निम्न आधार पर प्रत्येक नियतकालिक टिकट के लिए देय राशि		
		मासिक	त्रैमासिक	छमाही
1	2	3		
पटना, गोहाटी और त्रिवेन्द्रम स्थित सरकारी विमानक्षेत्र में यात्री बुकिंग हाल और लौंज तथा उनसे संलग्न स्थान	रुपये 1	रुपये 30/-	रुपये 90/-	रुपये 180/-

2. यह अधिसूचना 1-1-1976 से लागू होगी ।

[सं० ए० वी० 11013/9/73–रेवेन्यू]
एस० रामामृतम, महानिदेशक

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 13th November 1975

S.O. 5071.—In pursuance of rule 78-A of the Aircraft Rules, 1937 the Director General of Civil Aviation hereby notifies the area specified in column 1 of the Table below for the purpose of sub-rule (1) of the said rule and specifies the amount mentioned in the corresponding entries in columns 2 and 3 thereof as the amount on the payment of which an admission ticket may be obtained for entry into the said area.

TABLE

Description of area	Amount payable for each admission ticket	Amount payable for each seasonal ticket on		
		Monthly basis	Quarterly basis	Half yearly basis
Passengers booking halls and lounges and the enclosures appertaining thereto in the Government aerodromes at Patna Gauhati, and Trivandrum .	Re. 1	Rs. 30	Rs. 90	Rs. 180

2. This notification shall come into force with effect from 1-1-76.

[No. AV. 11013/9/73-REV.]
S. RAMAMRITHAM, Director General

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

पैट्रोलियम विभाग

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1975

का०आ० 5072.—यतः इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा गुजरात राज्य के तेल क्षेत्र के मेहसाना में व्यथन क्षेत्र के सनथल 4 से (1) फ्लेयर प्वाइंट से उब्लू एच आई (2) सनथल 4 से डब्लू एच आई तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया है ।

और यतः तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने क्रमशः 21-3-74 तथा 31-3-74 को उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया को पर्यवसित कर दिया है ।

अब अतः पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी उक्त तारीख को ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया के पर्यवसान के रूप में एतद्द्वारा अधिसूचित करता है ।

अनुसूची

(1) सनथल 4 के फ्लेयर प्वांइट से डब्लू एच आई तक

(2) सनथल 4 से डब्लू एच आई समथल-4 तक

पाइपलाइन की क्रिया का पर्यवसान

मंत्रालय का नाम	गांव	का० आ० संख्या	भारत के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख	प्रक्रिया के पर्यवसान की तारीख
पेट्रोलियम और रसायन	सनथल	1569	22-6-74	क्रमश: 21-3-74 से 31-3-1974

[सं० 12016/4/75–एल० एण्ड एल०]

के०वी० देशपांडे

गुजरात के लिए अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 7th November, 1975

S. O. 5072.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (i) of section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of Petroleum from drill site No.————to————in Mehsana oil field in Gujarat State.

1. Flare Point to W.H.I at Santhal-4.
2. Santhal-4 To W.H.I. Santhal-4.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 21-3-74 & 31-3-74 respectively.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Rules 1963, the Competent Authority hereby notified the said date as the date of termination of operation referred to above.

1. From Flare point to W.H.I. at Santhal-4
2. From Santhal-4 to W.H.I. Santhal-4.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline————— to————

Name of Ministry	Village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum & Chemicals	Santhal	1569	22-6-74	21-3-74 & 31-3-74 respectively.

[No. 12016/4/75-L&L]

K. V. DESHPANDE

Competent Authority under the Act for Gujarat.

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1975

का०आ० 5073.—यत: पेट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 3415, तारीख 4-12-1974 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत:, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा-प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुय केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, में सभी बंधकों से मुक्त रूप में इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

फ्लेयर प्वाइंट से जी० जी० एस० 111 तक पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार

राज्य-गुजरात		जिला: खेड़ा		तालुका : मातर
गांव	सर्वेक्षण नं०	हेक्टेयर	ऐआर ई	सण्टी ऐआर ई
पनसोली	197	0	·05	50

[12016/6/74-एल० एण्ड एल०]

New Delhi, the 10th November, 1975

S.O. 5073.—Whereas by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 3415 Dated 4-12-74 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (I) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Comission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Right of User for Pipeline to Flare point of GGS III

State: Gujarat District: Kaira Taluka: Matar

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Pansoli	197	0	05	50

[No. 12016/6/74-L&L]

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1975

शुद्धि-पत्र

का०आ० 5074.—पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, नई दिल्ली, दिनांक ,1975 पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 जिला : मेहसाना ।

गुजरात राज्य के जिला मेहसाना में जी जी एस सोभासन से जी जी एस/सी टी एफ उत्तरी कावी तक पाइपलाइन बिछाने के लिए पेट्रोलियम पाइपलाइन अधिनियम 1962 की धारा 3(1) के अन्तर्गत जारी की गई पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 12016/2/74/एल एण्ड एल, दिनांक 30-4-74 तथा संख्या 12016/2/74 एल एण्ड एल, दिनांक 18-5-75 से संलग्न अनुसूची में :

पढ़े				के स्थान पर			
गांव : पुनासन	जिला : मेहसाना		तालुका : मेहसाना	गांव : पुनासन	जिला : मेहसाना		तालुका : मेहसाना
ब्लाक नं०	क्षेत्र			ब्लाक नं०	क्षेत्र		
	एच	ए आर ई	सी ए आर ई		एच	ए आर ई	सी० ए० आर० ई०
410/पी	0	07	55	410/पी	0	03	75

[नं० 12016/2/74—एल एण्ड एल]

New Delhi, the 12th November, 1975

ERRATUM

S.O. 5074.—Ministry of Petroleum & Chemicals, New Delhi, dated ,1975, Petroleum Pipeline (Acquisition of Right of Users in land) Act, 1962, District: Mehsana.

In schedule appended to the Govt. Notification, Ministry of Petroleum & Chemicals, Department of Petroleum, New Delhi, Number 12016/2/74-L&L, dated 30-3-74, issued under Section 3(1) & Notification Number 12016/2/74-L&L, dated 18-5-74 issued under section 6(1) of Petroleum Pipeline Act, 1962, for the Acquisition of User for laying pipeline from G.G.S. Sobhasan to G.G.S./C.T.F. North Kadi, in Gujarat State, District Mehsana :

READ				FOR			
Village	District		Taluka	Village	District		Taluka
Punasan	Mehsana		Mehsana	Punasan	Mehsana		Mehsana
Block No.	Area			Block No.	Area		
	H	Are	C.Are		H	Are	C. Are
410/P	0	07	55	410/P	0	03	75

[No. 12016/2/74-L&L]

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1975

शुद्धि-पत्र

का०आ० 5075.—पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, नई दिल्ली, दिनांक 4-1-1974 पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962, जिला गांधी नगर ।

गुजरात राज्य के जिला गांधी नगर में कालोल-55 से जी० जी० एस० तक पाइपलाइन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिये पेट्रोलियम पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 6(1) के अन्तर्गत जारी की गई पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 12016/5/73/11 एल० एण्ड एल० दिनांक 7-6-1974 से संलग्न अनुसूची में :

पढ़े		के स्थान पर	
गांव सेरथा	जिला और तालुका गांधीनगर	गांव सेरथा	जिला और तालुका गांधीनगर
सर्वेक्षण नं०	क्षेत्र	सर्वेक्षण नं०	क्षेत्र
	एच० ए० सी० ए०		एच० ए० सी० ए०
1375/2	0-02-81	1375/3	0-02-81
5/1	0-04-76	5/2	0-04-76
5/2	0-01-00	5/1	0-01-00
335/3	0-02-81	335/1	0-02-81
335/6	0-02-44	335/3	0-02-44
338/3	0-01-71	338/1	0-01-71
338/4	0-03-10	338/2	0-03-10
338/1	0-04-94	338/3	0-04-94
729/3	0-04-24	729/1	0-04-24
729/1	0-02-75	729/3	0-02-75

[संख्या 12016/5/73-एल०एण्ड एल०]

New Delhi, the 13th November, 1975

ERRATUM

S.O. 5075.—Ministry of Petroleum & Chemicals, New Delhi, dated 4-1-1974 Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 District: Gandhinagar.

In the schedule appended to the Government Notification, Ministry of Petroleum & Chemicals, Department of Petroleum, New Delhi No. 12016/5/73/II/L&L dated 4-1-1974 issued under section 3(1) and Notification No. 12016/5/73/L&L dated 7-6-1974 issued under section 6 (I) of Petroleum Pipelines Act, 1962 for the acquisition of right of user for laying pipeline from Kalol-55 to G.G.S. I in Gujarat State, District Gandhinagar

Read		FOR	
Village	District & Taluka	Village	District & Taluka
Sertha	Gandhinagar	Sertha	Gandhinagar
Survey No.	Area	Survey No.	Area
	H.A.Ca.		H.A.Ca.
1375/2	0-02-81	1375/3	0-02-81
5/1	0-04-76	5/2	0-04-76
5/2	0-01-00	5/1	0-01-00
335/3	0-02-81	335/1	0-02-81
335/6	0-02-44	335/3	0-02-44
338/3	0-01-71	338/1	0-01-71
338/4	0-03-10	338/2	0-03-10
338/1	0-04-94	338/3	0-04-94
729/3	0-04-24	729/1	0-04-24
729/1	0-02-75	729/3	0-02-75

[No. 12016/5/73-L&L]

का० आ० 5076.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सानन्द 1 और 33 से जी० जी० एस०-एस० आई० पी० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बरौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत्।

अनुसूची

सानन्द 1 और 33 से जी० जी० एस०-एस० आई० पी० तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य: गुजरात जिला: मेहसाना तालुका: कादी

गांव	सर्वेक्षण नं०	हेक्टेयर नं०	ए आर ई	सेन्टी ए आर ई
थोल	1423	0	93	26

[संख्या 12016/10/75-एस० एण्ड एल०/1]

S.O. 5076.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum fom d.s. Sanand 1&33 to GGS-SIP in Gujarat State, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

2. And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines it is necessary to acquired the RIGHT OF USER in the land described in the schedule annexed hereto;

3. Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein ;

4. Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9.

5. And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

For Laying &Pipeline from Sanand 1 & 33 to GGS-SIP
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
THOL	1423	0	93	26

[No. 12016/10/75-L&L/1]

का० आ० 5077.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सानन्द 39 से जी० जी० एस०-एस० आई० पी० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा, रोड बरौदा-9, को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत्।

अनुसूची

सानन्द-30 से जी० जी० एस०-एस० आई० पी० तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य: गुजरात जिला:मेहसाना तालुका : कादी

गांव	सर्वेक्षण सं०	हेक्टेयर	ए आर ई	सेंटी ए आर ई
थोल	1423	1	12	07

[सं० 12016/10/75-एस० एण्ड एल/2]

S.O. **5077**.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from d.s. Sanand-39 to GGS at SIP in Gujarat State, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

2. And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines it is necessary to acquired the RIGHT OF USER in the land described in the schedule annexed hereto;

3. Now therfore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

4. Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9 ;

5. And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Laying Pipeline from Sanand-30 to G.G.S. at S.I.P.

State: Gujarat District: Mehsana Taluka: Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
THOL.....	1423	1	12	07

[No. 12016/10/75-L&L/II]

का० आ० 5078.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में के०-170 से के०-55 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः, अब पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि म हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बरौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत् ।

अनुसूची

के० 170 से के०-55 तक पाइपलाइन के लिये

राज्य : गुजरात गुजरात : गांधीनगर तालुका : गांधीनगर

गांव	सर्वेक्षण नं०	हेक्टेयर	ए आर ई	सेन्टीएर ई
1	2	3	4	5
सेरथा	299/3	0	04	50
	299/4	0	07	80
	303	0	15	15
	301	0	00	75
	413	0	02	55
	412	0	15	00
	306	0	10	50
	307	0	10	72
	310	0	01	00
	308	0	01	00
	309	0	20	85
	316/2	0	09	45
	317	0	08	85
	318/2/बी	0	07	27
	319/2	0	06	82
	320/1	0	01	57
	320/2	0	08	40
	320/3	0	02	25
	वी पी कार्ट ट्रेक	0	01	12
	47	0	10	50
	48	0	01	95
	46	0	08	55
	37/1	0	04	87
	38	0	05	55
	37/2	0	09	30
	38/1	0	07	50
	36/2	0	05	17
	12	0	08	25
	11	0	02	25
	8/2	0	02	85
	8/3	0	06	00
	8/1	0	08	02
	वी० पी० कार्ट ट्रेक	0	01	65
	1375/2	0	06	00

[सं० 12016/16/75-एल० एण्ड एल/1]

S.O. **5078**.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from d.s. K-170 to K-55 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

2. And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines it is necessary to acquired the RIGHT of user in the land described in the schedule annexed hereto;

3. Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition to Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein ;

4. Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the and to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9.

5. And every person making such an objection shall also state specfically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from K-170 to K-55.

State: Gujarat District: Gandhinagar Taluka: Gandhinagar

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
SERTHA	299/3	0	04	50
	299/4	0	07	80
	303	0	15	15
	301	0	00	75
	413	0	02	55
	412	0	15	00
	306	0	10	50
	307	0	10	72
	310	0	01	00
	308	0	01	00
	309	0	20	85
	316/2	0	09	45
	317	0	08	85
	318/2/B	0	07	27
	319/2	0	06	82
	320/1	0	01	57
	320/2	0	08	40
	320/3	0	02	25
	V.P. Cart-track	0	01	12
	47	0	10	50
	48	0	01	95
	46	0	08	55
	37/1	0	04	87
	38	0	05	55
	37/2	0	09	30
	36/1	0	07	50
	36/2	0	05	17
	12	0	08	25
	11	0	02	25
	8/2	0	02	85
	8/3	0	06	00
	8/1	0	08	02
	V.P. Cart-track	0	01	65
	1375/2	0	06	00

[No. 12016/16/75-L&L/1]

का० आ० 5079.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सं० सानन्द 38 से सानन्द 18 तक पट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब पट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बरोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिशः हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

व्यधन क्षेत्र सं० सानन्द 38 से सानन्द 18 तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : का लोल मेहसाना

गांव	ब्लाक नं०	हैक्टेयर	ऐ आर ई	सेण्टीयर
खातराज	343	0	24	61
	344	0	05	53
	341	0	06	69
सानन्द	सर्वेक्षण नं०			
	25	0	10	88
	कार्ट ट्रेक	0	03	15
	26	0	07	76
	27	0	11	18
	28	0	04	50
	37	0	30	36
	36	0	18	15
	35/8	0	10	13
	35/6	0	05	85

[सं० 12016/16/75-एल० एण्ड एल/2]

S.O. 5079.—whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from d.s. No. Sanand-38 to Sanand-18 in Gujarat State, pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

2. And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

3. Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares it's intention to acquire the Right of User therein ;

4. Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Baroda-9 ;

5. And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

For Laying Pipeline from Drill site No. Sanand 38 to Sanad 18,

State: Gujarat District: Mehsana Taluka: Kalol.

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare-
KHATRAJ	343	0	24	61
	344	0	05	53
	341	0	06	60
SANAWAD	Survey No.			
	25	0	10	88
	Cart-Track	0	03	15
	26	0	07	76
	27	0	11	18
	28	0	04	50
	37	0	30	36
	36	0	18	15
	35/8	0	10	13
	35/6	0	05	85

[No. 12016/16/75-L&L/2]

का० आ० 5080.—यत: पेट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 2377 तारीख 26-7-75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय भारतीय तेल निगम लि० में सभी संघकों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

तालुका आनन्द जिला खेदा गुजरात राज्य

गांव का नाम	सर्वेक्षण नं०	सक एच ए वर्ग मीटर
आनन्द	1098	0-01-50
	1099	0-00-66
	1106/2	0-02-50
	1105/1	0-02-70
	1105/2	0-03-02
	1108	0-00-10
	1105/3	0-01-68
	1110	0-02-80

[सं० 12017/4/74-एल एण्ड एल]

S.O. 5080.—Whereas by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 2377 Dated 26-7-75 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the Competent Authority has under sub section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the Power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government here by declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines.

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on the date of the publication of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumberances.

SCHEDULE

Taluka: Anand Dist: Kheda Gujarat State

Name of village	Survey No.	Extent H.A. Sq. M
Anand	1098	0-01-50
	1099	0-00-66
	1106/2	0-02-50
	1105/1	0-02-70
	1105/2	0-03-02
	1108	0-00-10
	1105/3	0-01-68
	1110	0-02-80

[No. 12017/4/74-L&L]

का० आ० 5081.—यत: पेट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ०सं० 122 तारीख 11-1-75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय भारतीय तेल निगम लि० में सभी बाधकों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

गांव : माहमेदपुरा तालुका : नाडियाद जिला : खेडा

गुजरात राज्य

क्रमांक	क्षेत्र एच ए वर्ग मीटर
33/3	0-01-40
33/2	0-14-24
33/1-4-5-6	0-02-00

[सं० 12017/5/74-एल एण्ड एल/2]

टी०पी० सुब्रमनियन, अवर सचिव

S.O. 5081.—Whereas by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 122 Dated 11-1-75 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines(Acquisition of Right of User in land) Act 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of Users in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines ;

And whereas the Competent Authority has under sub section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on the date of the publication of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumberances.

SCHEDULE

Village: Mahmedpura Taluka: Nadiad Dist: Kheda
Gujarat State

S. No.	Extent H.A.Sq. M.
33/3	0-01-40
33/2	0-14-24
33/1-4-5-6	0-02-00

[No. 12017/5/74-L&L/2]

T.P. SUBRAHMANYAN, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

परिवहन पक्ष

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1975

का० आ० 5082--सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय पर्यावर्ण नियोजन एवं समन्वय समिति के वरिष्ठ विशेषज्ञ डा० ए० के० खोसला को दिल्ली परिवहन निगम का सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं०सा०आ० 255 (ई) दिनांक 2 मई, 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :--

उक्त अधिसूचना के प्रथम पैरा में मद (2) से पहले निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात :--

"(1) डा० ए० के० खोसला, वरिष्ठ विशेषज्ञ, राष्ट्रीय पर्यावरण नियोजन और समन्वय समिति, विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग"।

[सं० 15-टी०ए०जी(35)/73]

एन०आर० रेड्डी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 13th November, 1975

S.O. 5082.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950), the Central Government hereby appoints Dr. A. K. Khosla, Senior Specialist, National Committee on Environmental Planning and Co-ordination, Department of Science and Technology, as a member of the Delhi Transport Corporation and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 255(E), dated the 2nd May, 1973, namely :—

In the first paragraph of the said notification, before item (ii), the following shall be inserted, namely :—

"(1) Dr. A. K. Khosla, Senior Specialist, National Committee on Environmental Planning and Coordination Department of Science and Technology."

[No. 15-TAG(35)/73]

N. R. REDDY, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1975

का० आ० 5083—विशाखापतनम अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1968 में और संशोधन करने के लिए स्कीम का एक प्रारूप, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या का०आ० 1013, तारीख 25 मार्च, 1975 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 5 अप्रैल, 1975 के पृष्ठ पर प्रकाशित किया गया था, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है।

और उक्त राजपत्र 22 अप्रैल, 1975 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था।

और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशाखापत्तनम अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1968 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम विशाखापत्तनम अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1975 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2 विशाखापत्तनम अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1968 में,—

(क) खण्ड 17 के उपखण्ड (2) में,—

(i) "प्रवर्ग 'ख'" शीर्षक के अन्तर्गत मद 7 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"निकासी और अग्रेषण अभिकर्ता द्वारा नियोजित कर्मकार।

(i) मिस्त्री

(ii) मजदूर।" ;

(ii) "प्रवर्ग 'ग'" शीर्षक के अंतर्गत मद 1 के सामने की प्रविष्टि में "तथा निकासी और अग्रेषण अभिकर्ता द्वारा नियोजित कर्मकार" शब्दों का लोप किया जायगा।

(ख) अनुसूची में,—

(i) "प्रवर्ग 'ख'" शीर्षक के अंतर्गत मद 7 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात :—

"8—निकासी और अग्रेषण अभिकर्ता द्वारा नियोजित कर्मकार।

(i) मिस्त्री

(ii) मजदूर।" ;

(ii) प्रवर्ग 'ग' शीर्षक के अंतर्गत मद 1 के सामने की प्रविष्टि में "तथा निकासी और अग्रेषण अभिकर्ता द्वारा नियोजित कर्मकार" शब्दों का लोप किया जायेगा।

[सं एस 70012/13/74-एल डी]

New Delhi, the 14th November, 1975

S.O. 5083.—Whereas certain draft scheme further to amend the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968 was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) at pages 1414-15 of the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 5th April, 1975 under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 1043, dated the 25th March, 1975 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette ;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 22nd April, 1975 ;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme to amend the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) This scheme may be called the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1975.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968 :—

(a) in sub-clause (2) of clause 17,—

(i) under the heading "**Category 'B'**" after item 7 and the entry relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

"8. Workers employed by Clearing and Forwarding Agents.

(i) Mistry.

(ii) Mazdoor." ;

(ii) under the heading "Category 'C'" in the entry against item 1, the words "and workers employed by clearing and forwarding agents" shall be omitted ;

[No. S-70012/13/74-LD]

(b) in the Schedule,

(i) under the heading "Category 'B' after item 7 and the entry relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

"8. Workers employed by Clearing and Forwarding Agents.

(i) Maistry.

(ii) Mazdoor." ;

(ii) under the heading "Category 'C'" in the entry against item 1, the words "and workers" employed by Clearing and forwarding agents" shall be omitted.

[No. S-70012/13/74-LD]

का०आ० 5084.—काण्डला डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1969 में संशोधन करने के लिए स्कीम का एक प्रारूप डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या का०आ० 2093, तारीख 10 जून, 1975 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 5 जुलाई, 1975 के पृ० 2417 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है।

और उक्त राजपत्र 22 जुलाई, 1975 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था।

और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ; अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, काण्डला डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1969 और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इस स्कीम का नाम संक्षिप्त नाम काण्डला डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) तृतीय संशोधन स्कीम, 1975 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. काण्डला डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1969 के खण्ड 3 के उपखण्ड (द) में, "350 टन" और शब्द के पश्चात, "या किसी टन भार के लैश पोत से विसर्जित लैश बजरा" शब्द जोड़े जायेंगे।

[सं० एल० डी० के-7/3/75-I]

S.O. 5084.—Whereas certain draft scheme to amend the Kandla Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1969 was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) at page 2417 of the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 5th July, 1975 under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 2093, dated the 10th July, 1975 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette ;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 22nd July, 1975 ;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following Scheme to amend the Kandla Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1969 namely :—

1. Short title and commencement.—(1) This scheme may be called the Kandla Dock Workers (Regulation of Employment) Third Amendment Scheme, 1975.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In sub-clause (r) of clause 3 of the Kandla Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1969 after the figures and word "350 tons", the words "or Lash barge discharged from LASH SHIP of any tonnage" shall be added.

[No. LDK-7/3/75-I]

का०आ० 5085.—काण्डला अरजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1968 में और संशोधन करने के लिए स्कीम का एक प्रारूप डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या का०आ० 2094, तारीख 10 जून, 1975 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड (ii), तारीख 5 जुलाई, 1975 के पृष्ठ 2417 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है।

और उक्त राजपत्र 22 जुलाई, 1975 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काण्डला अरजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम 1968 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम काण्डला अरजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) चतुर्थ संशोधन स्कीम, 1975 है।

(2). यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. काण्डला अरजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1968 के खण्ड 3 के उपखण्ड (ढ) में, "350 टन" अंकों और शब्द के पश्चात, "या किसी टन भार के लैश पोत से विसर्जित लैश बजरा" शब्द जोड़े जाएंगे।

[एल० डी० के०-7/3/75-II]

S.O. 5085.—Whereas certain draft scheme to amend the Kandla Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968 was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) at page 2417 of the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 5th July, 1975 under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 2094 dated the 10th June, 1975 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette.

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 22nd July, 1975;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft by the Central Official Gazette ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme to amend the Kandla Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) This scheme may be called the Kandla Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Fourth Amendment Scheme, 1975.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In sub-clause (n) of clause 3 of the Kandla Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968 after the figures and word "350 tonnes" the words "or Lash barge discharged from LASH SHIP of any tonnage" shall be added.

[No. LDK-7/3/75-II]

का०आ० 5086.— केन्द्रीय सरकार, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशाखापत्तनम डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम 1959 में कतिपय और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त उपधारा में अपेक्षित

है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जायेगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

स्कीम का प्रारूप

1. इस स्कीम का नाम विशाखापत्तनम अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1975 है।

2. विशाखापत्तनम डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 के खण्ड 3 के उपखण्ड (प) में, "350 टन" अंकों और शब्द के पश्चात "या किसी टन भार के लैश पोत से विसर्जित लैश बजरा" शब्द जोड़े जाएंगे।

[फा० सं० एल डी वी/24/75-I]

S.O. 5086.—The following draft of a scheme further to amend the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) is published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1. This scheme may be called the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1975.

2. In sub-clause (p) of clause 3 of the Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959, after the figures and words "350 tons" the words "or cash wage, discharged from LASH ship, of any tonnage" shall be added.

[File No. LDV/24/75-I]

का० आ० 5087.— केन्द्रीय सरकार, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशाखापत्तनम अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1968 में कतिपय और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त उपधारा में अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जायेगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

स्कीम का प्रारूप

1. इस स्कीम का नाम विशाखापत्तनम अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1975 है।

2. विशाखापत्तनम अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1968 के खण्ड 3 के उपखण्ड (ठ) में, "350 टन" अंकों और शब्दों के पश्चात्, "या किसी टन भार के लैश पोत से विसर्जित लैश बजरा" शब्द जोड़े जाएंगे।

[फा०सं० एल डी वी/24/75 II]
वी० संकरालिंगम, अवर सचिव

S.O. 5087.—The following draft of a scheme further to amend the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any persons with respect to the said draft before the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1. This scheme may be called the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1975.

2. In sub-clause (b) of clause 3 of the Visakhapatnam Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968, after the figures and words "350 tons" the words "or Lash barge, discharged from LASH ship, of any tonnage" shall be added.

[File No. LDV/24/75-II]
V. SANKARALINGAM, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1975

का० आ० 5088.— गोहाटी टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था के स्थानीय क्षेत्र में बदली किये जाने की बाबत जिन लोगों पर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की संभावना है एक पब्लिक नोटिस उन सब की जानकारी के लिए जैसा कि भारतीय तार नियमावली, 1951 के नियम 434(III) (बी बी) में अपेक्षित है, गोहाटी में प्रचलित समाचार पत्रों में निकाला गया था और उनसे कहा गया था कि इस बारे में यदि उन्हें कोई आपत्ति हो या उनके कोई सुझाव हों तो वे नोटिस के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजने का कष्ट करें।

उक्त नोटिस सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 25 व 26 नवम्बर, 74 को "असम ट्रिब्यून" के अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र और 28 व 29 नवम्बर, 74 के "दैनिक असीम" असमी दैनिक समाचार पत्रों का निकाला गया था।

उक्त नोटिस के बारे में जन साधारण से कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

अतः अब उक्त नियमावली के नियम 434 (III) (बी बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके महानिदेशक डाकतार ने घोषित किया है कि 1-12-75 से गोहाटी का स्थानीय संशोधित क्षेत्र इस प्रकार होगा :

गोहाटी टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था :

गोहाटी का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जो कि गोहाटी टेलीफोन एक्सचेंज से 5 कि०मी० दूरी के भीतर पड़ता है। किन्तु वे टेलीफोन उपभोक्ता जो कि गोहाटी नगर निगम सीमा के बाहर स्थित हैं किन्तु जिन्हें गोहाटी टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था से सेवा प्रदान होती है वे इस व्यवस्था के किसी भी एक्सचेंज से जब तक कि 5 कि०मी० दूरी के भीतर स्थित रहेंगे और इस व्यवस्था से जुड़े रहेंगे तब तक स्थानीय शुल्कवर में अदायगी करेंगे।

[संख्या 39/74 पी०एच०बी०]
एच० सी० माथुर, निदेशक (फोन-ई)]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 11th November, 1975

S.O. 5088.—Whereas a public notice for revising the local area of Gauhati Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III)(bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Gauhati, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers ;

And whereas the said notice was made available to the public on 25th and 26th November, 1974 in English daily Newspaper "Assam Tribune" and on 28th & 29th November, 1974 in Assamese daily newspaper "Dainik Asom" ;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434 (III) (bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 1-12-1975 the revised local area of Gauhati shall be as under ;

Gauhati Telephone Exchange System

The local area of Gauhati shall cover an area falling under the jurisdiction of Gauhati Municipal Corporation ;

Provided that the telephone subscribers located outside Gauhati Municipal Corporation limit but who are served from Gauhati Telephone Exchange System shall continue to pay local tariffs as long as they are located within 5 kms of any exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-9/74-PHB]
H. C. MATHUR, Director of Telephones (E)

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1975

का० आ० 5089.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पुनर्वास विभाग में संयुक्त निदेशक के रूप में कार्य कर रहे श्री जे०के० अहलूवलिया को सौंपे गए कार्यों के अतिरिक्त उक्त अधिनियम के अंतर्गत या इसके द्वारा उप मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए उप मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 1(31)/विशेष सेल/75-एस०एस० II]

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 6th November, 1975

S.O. 5089.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri J. K. Ahluwalia, Joint Director in the Department of Rehabilitation as Deputy Chief Settlement Commissioner for the purpose of performing in addition to his own duties as Joint Director, Department of Rehabilitation, the functions assigned to a Deputy Chief Settlement Commissioner by or under the said Act.

[No. 1(31)/Spl. Cell/75-SS. II]

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1975

का० आ० 5090.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत तथा भारत सरकार, पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/6/विशेष सैल/एस०एस०/4/72 दिनांक 25 सितम्बर, 1974 का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा गुजरात सरकार के राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव (निरीक्षण) को अपने कार्यों के अलावा उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत उप मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए गुजरात राज्य के लिए उप मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या 1/(6)/72 विशेष सैल/एस एस-4/एस० एस० II]
दीनानाथ असीजा, अवर सचिव

New Delhi, the 11th November, 1975

S.O. 5090.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954) and in supersession of the Notification No. 1(6)/Spl. Cell/SS. IV/72 dated the 25th September, 1974, of the Government of India in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Department of Rehabilitation), the Central Government hereby appoints the Joint Secretary (Inspection), Revenue Department, Government of Gujarat, as Deputy Chief Settlement Commissioner in the State of Gujarat for the purpose of performing, in addition to his own duties, the functions assigned to a Deputy Chief Settlement Commissioner by or under the said Act.

Sd/-

[No. 1(6)/72-Spl. Cell/SS. IV/SS. II.]
D. N. ASIJA, Under Secy.

का० आ० 5091.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/6/विशेष सैल/एस० एस०-4/72 दिनांक 25 सितम्बर/5 अक्तूबर, 1974 का अतिक्रमण

करते हुए मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त इसके द्वारा उप मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग कर रहे गुजरात राज्य सरकार के राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव (निरीक्षण) को उक्त अधिनियम या उसकी धारा 23, 24 तथा 28 के अन्तर्गत उक्त मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त को दी गई शक्तियों को गुजरात राज्य में मुआवजा भण्डार की सरकार द्वारा निर्मित सम्पत्तियों, अर्जित निष्क्रांत सम्पत्तियों, कृषि भूमियों, दुकानों तथा खाली स्थलों के संबंध में उक्त धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक आदेश पारित करने के उद्देश्य से सौंपते हैं।

[संख्या 1(6)/72-विशेष सेल/एस०एस०-4/एस० एस०-II]

S.O. 5091.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954, (44 of 1954), and in supersession of the Notification No. 1 (6)/72-Spl. Cell/SS. IV/72, dated the 25th September/5th October, 1974, of the Government of India in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Department of Rehabilitation) the Chief Settlement Commissioner hereby delegates to the Joint Secretary (Inspection), Revenue Department, State Government of Gujarat, exercising the powers of Deputy Chief Settlement Commissioner, the powers conferred on the said Chief Settlement Commissioner by or under Sections 23, 24 and 28 of the said Act for the purpose of passing necessary orders under the said section in respect of Government built properties, acquired evacuee properties, agricultural lands, shops and vacant sites forming part of the 'Compensation Pool' in the State of Gujarat.

[No. 1(6)/72-Spl. Cell/SS. IV/SS.II]

का०आ० 5092.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) की अधिसूचना संख्या 1(6)/विशेष सेल/एस० एस०-4/72 दिनांक 25 सितम्बर/29 अक्तूबर, 1974 का अतिक्रमण करते हुए मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त इसके द्वारा उप मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग कर रहे तथा गुजरात सरकार के राजस्व विभागमें कार्य कर रहे संयुक्त सचिव (निरीक्षण) को उक्त अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं के अन्तर्गत उक्त मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त को सौंपी गई शक्तियां सौंपते हैं, अर्थात् :—

(क) धारा 20 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खरीद की बकाया राशि के संबंध में एक प्रमाण-पत्र जारी करना;

(ख) धारा 30 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उन व्यक्तियों के संबंध में आदेश जारी करना जिनसे भूमि के लगान की वसूली करने योग्य कोई बकाया राशि हो; और

(ग) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के संबंध में न्यायालय द्वारा ध्यान दिए जाने के लिए धारा 35 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित शिकायतें करना।

[संख्या 1(6)/72-विशेष सेल/एस०एस०-4/एस०एस०-II]

S.O. 5092.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 34 of the Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), and in supersession of the notification No. 1(6)/72-Spl. Cell/SS. IV dated the 25th September/29th October, 1974 of the Government of India in the Ministry of Supply & Rehabilitation (Department of Rehabilitation) the Chief Settlement Commissioner hereby delegates to the Joint Secretary (inspection) to the Government of Gujarat in the Revenue Department and exercising the powers of the Deputy Chief Settlement Commissioner, the powers conferred on the said Chief Settlement Commissioner under the following sections of the said Act, namely :

(a) issuing a certificate under sub-section (3) of section 20 in respect of amount of purchase money remaining unpaid;

(b) making an order under sub-section (2) of section 30 in respect of persons from whom any sum is recoverable as arrears of land revenue; and

(c) making complaints as required by sub-section (2) of section 35 for enabling a Court to take cognisance of an offence punishable under the said Act.

[No. 1 (6)/72-Spl.Cell/SS. IV/SS. II]

का० आ० 5093.—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग) की अधिसूचना संख्या 1(6)/विशेष सेल/एस०एस०-4/72 दिनांक 25 सितम्बर/5 अक्तूबर, 1974 का अतिक्रमण करते हुए मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त इसके द्वारा गुजरात राज्य सरकार के राजस्व विभाग में कार्य कर रहे तथा उप मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग कर रहे संयुक्त सचिव (निरीक्षण) को, प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवस्था के अन्तर्गत गुजरात राज्य को हस्तान्तरित 'मुआवजा भण्डार' की सभी अर्जित निष्क्रांत सम्पत्तियों के निपटारे के लिए उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए 87, 88, 90(1) (क), 90(1)(ख), 90(11), 90(12) तथा 101 नियमों के अधीन, अपनी शक्तियां सौंपते हैं।

[संख्या 1/(6)/72-विशेष सेल/एस०एस०-4/एस० एस०-II]

कुसुम प्रसाद, मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त

S.O. 5093.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 34 of the Displaced Persons Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954) and in supersession of the Notification No. 1(6)/Spl Cell/SS. IV/72 dated the 25th September/5th October, 1974, of the Government of India in the Ministry of Supply & Rehabilitation (Department of Rehabilitation), the Chief Settlement Commissioner hereby delegates to the Joint Secretary (Inspection) Revenue Department State Government of Gujarat exercising the powers of the Deputy Chief Settlement Commissioner, his powers under rules 87, 88, 90(1)(a) 90(1)(b) (11) 90 12 and 101 framed under the said Act, for the purpose of disposal of all acquired evacuee properties forming part of the compensation pool, transferred to the State Government of Gujarat, under administrative and financial arrangements.

[No. 1(6)/72-Spl. Cell/SS. IV/SS. II.]

KUSUM PRASAD, Chief Settlement Commissioner

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 12 जून, 1975

का० आ० 5094.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सरदार गुरुमुख सिंह, खान मालिक की राजपुरा रेतीली पत्थर की खान, छावनी, कोटा, जिला बून्दी (राजस्थान) के प्रबन्धतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या सरदार गुरुमुख सिंह, खान मालिक की राजपुरा रेतीले पत्थर की खान, छावानी, कोटा, जिला बून्दी (राजस्थान) में नियोजित कर्मकार, सवेतन त्यौहार के दिनों की छुट्टियों या राष्ट्रीय छुट्टियों की स्वीकृति के हकदार हैं ? यदि हां, तो कितनी और किन अवसरों पर ?

[संख्या एल-29011/56/75-डी० 3 (बी)]

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 12th June, 1975

S.O. 5094.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Rajpura Sand Stone Mine of Sardar Gurumukh Singh, Mine Owner, Chhawani, Kota, District Bundi (Rajasthan), and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, constituted under Section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the workmen employed in Rajpura Sand Stone Mine of Sardar Gurumukh Singh, Mine Owner, Chhawani, Kota, District Bundi (Rajasthan) are entitled for grant of paid Festival or National holidays ? If so, how many and on what occasions ?

[No. L-29011/56/75-D.O. 3(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1975

का० आ० 5095.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में श्रीमति अख्तोरबाई पत्नी श्री हाशिम अली पठान, खान स्वामी, कोटरा गोर्धनपुरा, कोटा का बुधपुरा बलुआ पत्थर की खानों के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या श्रीमति अख्तोरबाई पत्नी श्री हाशिम अली पठान, खान स्वामी, कोटरी गोर्धनपुरा, कोटा (राजस्थान) का बुधपुरा रेतीले पत्थर की खानों में नियोजित कर्मकारों का लेखा वर्ष 1972-73 और 1973-74 के लिए 20 प्रतिशत की दर से लाभ सांझेदारी बोनस के संदाय की मांग न्यायोचित है ? यदि हां, तो उक्त कर्मकार इन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए कितने बोनस के हकदार हैं ?

[सं० एल-29011/103/75-डी०आ० 3(बी)]

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 1975

S.O. 5095.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Budhpura Sand Stone Mines of Shrimati Annor Bai, Mine Owner, Wife of Shri Hasim Ali Pathan, Kotri Gordhanpura, Kota, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur constituted under Section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the demand of the workmen employed in Budhpura Sand Stone Mines of Shrimati Annor Bai, Wife of Shri Hasim Ali Pathan, Mine Owner, Kotri Gordhanpura, Kota (Rajasthan) for payment of profit sharing bonus at the rate of 20 per cent for the accounting years 1972-73 and 1973-74 is justified ? If so, to what quantum of bonus are the said workmen entitled for each of these years ?

[No. L-29011/103/75-DO. 3(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1975

का० आ० 5096.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स एस्बेस्टोस सीमेंट प्राडक्टस लिमिटेड की रोरो में स्थित मैसर्स रोरो एस्बेस्टोस माइन्स, डाकघर रोरो बरास्ता चाइबासा, जिला सिंहभूम के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या II धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स हैदराबाद एस्बेस्टोस सीमेंटस प्राडक्टस लिमिटेड की रोरो में स्थित रोरो एस्बेस्टोस माइन्स, जिला सिंहभूम, बिहार में नियोजित कर्मकारों की निम्नलिखित मांगें न्यायोचित हैं ? यदि हां, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं और किस तारीख से ?

मांग संख्या 1:—भूमि के नीचे काम करने वाले अकुशल श्रमिकों को रु० 300 प्रतिमाह की दर से और जमीन के ऊपर अकुशल श्रमिकों को 280 रु० प्रतिमाह की दर से मजदूरी की वृद्धि और अर्धकुशल और अन्य वर्गों के श्रमिकों की मजदूरी में आनुपातिक वृद्धि।

मांग संख्या 2:—लेखा वर्ष 1974 के लिए 20 प्रतिशत की दर से बोनस।

मांग सं० 3:—घरों की व्यवस्था या विकल्प में भत्ते के रूप में प्रति माह 30 रु० की राशि।

मांग संख्या 4 :—मकर संक्राति, माघी, सहुल, राजो संक्राति, होली और दुर्गा पूजा के लिए त्योहार के दिनों की छुट्टियों की मंजूरी।

[सं० एल 29011/96/75-डी० ओ 3 (बी)]

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 10th September, 1975

S.O. 5096.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Roro Asbestos Mines of Messrs Asbestos Cement Products Limited, at Roro, Post Office Roro Via Chaibasa, District Singhbhum, and their workmen in respect of the matters : specified in the Schedule hereto annexed.

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. II Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the following demands of the workmen employed in Roro Asbestos Mines of Messrs Hyderabad Asbestos Cement Products Limited at Roro, District Singhbhum, Bihar, is justified ? If so to what relief and from what date are the workmen entitled to ?

Demand No. 1.—Increase of wages at the rate of Rs. 300/- per month to underground un-skilled workers and Rs. 280/- per month to above ground un-skilled, workers and proportionate increase in wages to semi-skilled and other categories of workers.

Demand No. 2.—Bonus for the accounting year 1974 at the rate of 20 per cent.

Demand No. 3.—Provision of houses or in the alternative a sum of Rs. 30/- per month to the workmen as housing allowance.

Demand No. 4.—Grant of festival holidays for Makar Sankranti, Maghee, Sarhul, Rajo Sankranti, Holi and Durga Puja.

[No. L-29011/96/75-D. III B]

आदेश

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1975

का०आ० 5097.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स डालमिया मैगनिसाइट कारपोरेशन, सालेम 5 के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 9क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी थिरू टी० पालानियाप्पन होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या दालमिया मैगनिसाइट कारपोरेशन के प्रबंधतंत्र का 4 जुलाई, 1974 से श्री पी० शनमुघम, खान मजदूर की सेवाएं समाप्त करना न्यायोचित था ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल 29011/111/75 डी०IIIबी०]

ORDER

New Delhi, the 20th September, 1975

S.O. 5097.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Dalmia Magnesite Corporation, Salem-5 and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 9A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Cenral Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Thiru T. Palaniappan as Presiding Officer with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

Whether the management of Dalmia Magnesite Corporation was justified in terminating the services of Shri P. Shanmugham, Mines Mazdoor with effect from 4th July, 1974 ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L-29011/111/75-D. III. B]

आदेश

का०आ० 5098.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कोल माइन्स अथारिटि लिमिटेड की टोपोसी कोलियरी के ईस्ट जामुरिया यूनिट, डाकघर टोपोसी (बर्दवान) के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या कोल माइन्स अथारिटि लिमिटेड की टोपोसी कोलियरी, डाकघर टोपोसी (बर्दवान) के प्रबन्धतंत्र की, श्री के० आर० शर्मा, ठेकेदार के अधीन बिल क्लर्क—श्री राधा नाथ सिंह को नियोजित न करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एस-19012/8/75-डी-3/ए]

S.O. 5098.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of East Jamuria Unit of Toposi Colliery of Coal Mines Authority Limited, post Office Toposi (Burdwan) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto anexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Toposi Colliery, of Coal Mines Authority Limited, Post Office Toposi, (Burdwan) in not employing Shri Radha Nath Singh, Bill Clerk under the Contractor, Shri K. R. Sharma, is justified? If not, to what relief is the workman entitled?

[No. L-19012/8/75-D. III. A]

आदेश

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1975

का० आ० 5099.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स सिंगारेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, बेलमपल्ली प्रभाग II, डाकघर बेलमपल्ली आदिलाबाद जिला, आन्ध्रप्रदेश के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है।

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० नरसिंह राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

कोयला खनन् उद्योग संबंधी मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अध्याय XVIII के पैरा 10 के उपबंध को ध्यान में रखते हुए, क्या मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड, बेलमपल्ली प्रभाग II के प्रबन्धतन्त्र का श्री नीलम पोशेम को लाइनमैन के रूप में काम करने के लिए अनुरोध करना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[संख्या एल-21011/13/75-डी० ओ० III (बी०)]

ORDER

New Delhi, the 22nd September, 1975

S.O. 5099.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited, Belampalli Division II, Post Office Belampalli Adilabad District, Andhra Pradesh and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whhereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes and Industrial Tribunal with Shri T. Narsing Rao, as Presiding Officer with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

Having regard to the provision of para 10 of Chapter XVIII of the Recommendations of the Wage Board for the Coal Mining Industry, whether the management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Belampalli Division II is justified in asking Sri Neelam Poshem to work as Lineman? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-21011/13/75-D.O. III (B)]

आदेश

का० आ० 5100.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स नेशनल कोल डिवलेपमेंट कारपोरेशन की पाथाखेड़ा कोलियरी, पाथाखेड़ा के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या सर्वश्री आई० टिग्गा, बी० एक्साक्स, एस० सिंह और एम० एम० डे की शैक्षिक और तकनीकी अर्हताओं और सेवा के पिछले रिकार्ड का ध्यान रखते हुए, नेशनल कोल डिवलपमेंट कारपोरेशन की पाथाखेड़ा कोलियरी के प्रबन्धतंत्र की चार्जमैन के पद पर प्रोन्नति के लिए उनके दावों की उपेक्षा करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं?

[सं० एल०-22012/4/75-डी ओ 3(ए)]

एस० एच० एस० अय्यर, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

S.O. 5100.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Pathakhera Colliery of Messrs National Coal Development Corporation, Limited Pathakhera and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed.

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferreby by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

"Whether, having regard to the educational and Technical qualifications as well as the past record of service of Sarvashri I. Tigga, B. Xalx, S. Singh and M. M. Dey, the action of the management of Pathakhera

Colliery of National Coal Development Corporation in overlooking their claims for promotion to the post of chargemen, is justified ? If not, to what relief are the said workmen entitled ?"

[No. L-22012/4/75-DO III A]

S. H. S. IYER, Section Officer (Spl.)

आदेश

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1975

का० आ० 5101.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बैंक आफ बड़ौदा से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण सं० (1) मम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या बैंक आफ बड़ौदा मुम्बई के प्रबन्धतंत्र का श्री वी०पी० शेट्टी लिपक का उक्त बक के मुलजी जेठा शाखा से स्थानान्तरण करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल०-12012/106/75-डी० II/ए]

ORDER

New Delhi, the 18th September, 1975

S.O. 5101.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bank of Baroda and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, No. (1), Bombay, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the Management of the Bank of Baroda Bombay, in transferring Shri P. V. Shetty clerk, from Mulji Jetha Branch of the said Bank is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L. 12012/106/75/D II/A]

आदेश

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1975

का० आ० 5102.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में ग्रिन्डलेज बैंक लिमिटेड, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण दिल्ली को न्यानिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या ग्रिन्डलेज बैंक लिमिटेड उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के प्रबन्धतत्र का कार्य भार में वृद्धि, कार्य समय के वितरण और यंत्र प्रचालकों के चयन की पद्धति में परिवर्तन का प्रस्थापना करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो व्यथित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/20/75-डी० II/ए]

ORDER

New Delhi, the 19th September, 1975

S.O. 5102.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Grindlays Bank Limited, Northern Region, New Delhi and their workmen in raspect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Delhi, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Grindlays Bank Limited, Northern Region New Delhi in proposing increase in workload, stagger the hours of work and change the method of selection of machine operators is justified ? If not, to what relief are the aggrieved workmen entitled ?

[No. L. 12012/20/75/DII/A]

आदेश

का० आ० 5103.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में पंजाब नेशनल बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है—

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री उपदेश नारायण माथुर होंगे जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या पंजाब नेशनल बैंक की सम्पति शाखा कार्यालय, अजमेर में विशेष सहायक श्री बी० आर० भार्गव को 1 अक्तूबर, 1971 से विशेष सहायक के पद पर प्रोन्नति न देने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[सं० एल-12012/41/75-डी II/ए]

ORDER

S.O. 5103. -Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Punjab National Bank and their workmen in respect of the matter specified in the Shedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of Section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri Upadesh Narain Mathur shall be the Presiding Officer, with head-quarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the Punjab National Bank is not promoting Shri B. R. Bhargava, now Special Assistant Branch office, Ajmar to the post of Special Assistant with effect from the 1st October, 1971, is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L. 12012/41/75/DII/A]

आदेश

का०आ० 5104.— केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बैंक आफ बड़ौदा से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण सं० (1) मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या बैंक आफ बड़ौदा, मुम्बई के प्रबन्धतंत्र की, श्री के० के० कोटियन लिपिक को उक्त बैंक की कुण्णकरण शाखा से चेम्बूर शाखा में स्थानान्तरित करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[सं० एल० 12012/100/75-डी०II/ए]

ORDER

S.O. 5104.—Whether the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bank of Baroda and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby reters the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal No. (1) Bombay, constituted under Section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Bank of Baroda, Bombay, in transferring Shri K. K. Kotian, clerk, from Reclamation Branch to Chembur Branch of the said Bank is justified? If not, to what relief is the said workman entitled.

[No. L. 12012/100/75/DII/A]

आदेश

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1975

का० आ० 5105.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में सिंडीकेट बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी०एस० भागवत होंगे जिनका मुख्यालय बंगलौर में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण की न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या सिंडीकेट बैंक, प्रधान कार्यालय मणीपाल का उक्त बैंक की कोक्कड़ा शाखा के लिपिक श्री के० दिनकर भट्ट को 11 जून, 1971 से पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनतोष का हकदार है?

[सं० एल-12012/18/73-एल० आर० III]

ORDER

New Delhi, the 20th September, 1975

S.O. 5105.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Syndicate Bank and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of Section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Bhagwat shall be the Presiding Officer, with head-quarters at Bangalore and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the Syndicate Bank, Head Office, Manipal, is justified in dismissing Shri K. Dinkar Bhat, Clerk, Kokkada Branch of the said Bank with effect from the 11th June, 1971? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L. 12012/18/73/LR III]

आदेश

का० आ० 5106.--केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बैंक आफ बड़ौदा से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण सं० (1) मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या बैंक आफ बड़ौदा, मुम्बई के प्रबन्धतन्त्र का श्री अनिल पी० शाह को, उक्त बैंक की चर्चगेट शाखा से चन्द्रावारकर रोड, माटुंगा, मुम्बई शाखा में स्थानान्तरित करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल०-12012/101/75-डी० II/ए]

ORDER

S.O. 5106.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bank of Baroda and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 19 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, No. (1) Bombay, constituted under Section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Bank of Baroda, Bombay, in transferring Shri Anil P. Shah from Churchgate Branch of the said Bank to Chandavarkar Road Branch, Matunga, Bombay of the said Bank is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L. 12012/101/75/DII/A]

आदेश

का० आ० 5107.--केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में ग्रिन्डलेज बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या ग्रिन्डलेज बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली के प्रबन्धतन्त्र की श्री प्रेम चन्द गुप्ता, टंकक एवं लिपिक को, 8 अगस्त, 1974 से टेलीफोन प्रचालक के रूप में कार्य करने की अनुमति न देने और उसे अनुज्ञेय विशेष भत्ता देने से इन्कार करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं०एल०-12012/145/75-डी०-II/ए]

ORDER

S.O. 5107.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Grindlays Bank Limited, New Delhi and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Delhi, constituted under Section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Grindlays Bank Limited, New Delhi on not allowing Shri Prem Chand Gupta, typist cum clerk, to work as Telex Operator with effect from the 8th August, 1974 and in denying special allowance admissible to him is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L. 12012/145/75/DII[A]

आदेश

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1975

का० आ० 5108.--केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में पंजाब नेशनल बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद की उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या पंजाब नेशनल बैंक, दिल्ली क्षेत्र के प्रबन्धतन्त्र का, उक्त बैंक की आसफ अली रोड शाखा, नई दिल्ली के श्री ओ० पी० मल्होत्रा से 9 अगस्त, 1967 से 16 अगस्त, 1967 तक और 30 अक्तूबर, 1967 से 9 नवम्बर, 1967 तक की अवधि के लिये छुट्टी वेतन की वसूली का और उनकी वेतनवृद्धि मुल्तवी करने का प्रस्ताव न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल० 12012/104/75-डी० II/ए०]

ORDER

New Delhi, the 22nd September, 1975

S.O. 5108.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Punjab National Bank and their workmen respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial, Tribunal Delhi constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the management of the Punjab National Bank, Delhi Region, is justified in proposing recovery of leave salary for the period from 9th August, 1967 to 16th August, 1967 and from 30th October, 1967 to 9th November, 1967 from Shri O. P. Malhotra of Asaf Ali Road Branch, New Delhi of the said Bank and to postpone his increment ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L. 12012/104/75/DII/A]

आदेश

का० आ० 5109.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों बारे में भारतीय रिजर्व बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है।

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण सं० (1) मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या भारतीय रिजर्व बैंक, बैंककारी संक्रिया और विकास विभाग त्रिवेन्द्रम के प्रबन्धतन्त्र का श्री आर० शंकरमूर्ति, पिल्लई, चपरासी को 14 मई, 1973 से बिजली मिस्त्री एवं केयर टेकर के रूप में स्थानापन्न हैसियत में कार्य करने का अवसर न देना न्यायोचित है? यदि नहीं तो, उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[सं० एल० 12012/103/75-डी० II/ए०]

ORDER

S.O. 5109.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Reserve Bank of India and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrialal, No. (1) Bombay, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the management of the Reserve Bank of India, Department of Banking operations and Development, Trivandrum, in denying officiating chance to Shri R. Sankaramoorthy Pillay, Peon, to officiate as Electrician Cum Caretaker, with effect from the 14th May, 1973 is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L. 12012/103/75/DII/A]

आदेश

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1975

का० आ० 5110.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट के विषयों के बारे में बैंक आफ बड़ौदा से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है।

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 7 क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रत्तद शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, सं० 1, मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करता है।

अनुसूची

क्या बैंक आफ बड़ौदा के प्रबन्धतन्त्र की, उक्त बैंक की मेरीन ड्राइव शाखा के रोकडिया श्री आर० पी० देसाई को उक्त बैंक की सिम्रोन शाखा में स्थानान्तरित करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[सं० एल०-12012/99/75-डी० II/ए०]

आर० कुंजीथापदम, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 27th September, 1975

S.O. 5110.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bank of Baroda and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, No. 1, Bombay constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Bank of Baroda, Bombay in transferring Shri R. P. Desai Cashier of the Marine Drive Branch of the said Bank to Sion Branch of the said Bank is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L. 12012/99/75/DII/A]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1975

का० आ० 5111.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की नुदखुर्की कोलियरी, डाकघर नुदखुर्की, जिला धनबाद के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की नुदखुर्की कोलियरी, डाकघर नुदखुर्की, जिला धनबाद के प्रबन्धतन्त्र की, सर्वश्री बुतान साव, चपरासी, प्रहलाद दुसाद, खनिक और हरिनाथ राम, खनिक की, 25 दिसम्बर, 1974 से पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं?

[संख्या एल०-20012/70/75-डी० 3/ए०]
एल० के० नारायणन, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

New Delhi, the 22nd September, 1975

S.O. 5111.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Nudkhurkee Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Nudkhurkee, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Nudkhurkee Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Nudkhurkee, District Dhanbad, in dismissing Sarva Shri Butan Saw, Chaprasi, Prahlad Dusad, Miner and Harinath Ram, Miner, from service with effect from the 25th December, 1974 is justified? If not, to what relief are said workmen entitled?

[No. L-20012/70/75/D.III/A]
L. K. NARAYANAN, Section Officer (Special)

आदेश

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1975

का० आ० 5112.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कालटा आयरन और माइन्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी० एन० मिश्र होंगे, जिनका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या केन्द्रीय श्रम डिपो, गोरखपुर के माध्यम से मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा भर्ती किये गये और उनकी कालटा आयरन और माइन्स डाकघर कालटा में नियोजित मामानुपाती दर खनिकों को देय मजदूरी की वर्तमान दरें पर्याप्त हैं? यदि नहीं तो उक्त खनिक किस अनुतोष के हकदार हैं?

[संख्या एल०-26011/30/75-डी०-4 (बी०)]
भूपेन्द्र नाथ अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

New Delhi, the 4th October, 1975

S.O. 5112.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Kalta Iron Ore Mines Hindustan Steel Limited and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri B. N. Misra shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bhubaneshwar and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the existing rates of wages payable to the piece-rated miners recruited by Messrs Hindustan Steel Limited through Central Labour Depot, Gorakhpur and employed at their Kalta Iron Ore Mines, Post Office Kalta are adequate ? If not, to what relief are the said Miners entitled ?

[No. L-26011/30/75/DIV/(B)]
BHUPENDRA NATH, Secion Officer (Spl.)

आदेश

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 1975

का० आ० 5113.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स ली एंड मयूरहैड (इंडिया) प्रा० लि०, कलकत्ता के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स ली एंड मयूरहैड (इंडिया) प्रा० लि० की सर्वश्री पंछी राय, रामदास, रामबहादुर सिंह, सुधीर कुमार हालदर और महेन्द्र मैती की 1 जून, 1975 से सेवाओं को समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[संख्या एल०-32012/27/75-डी०-4 (ए०)]
नन्द लाल, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

New Delhi, the 18th October, 1975

S.O. 5113.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Lee & Muirhead (India) Private Limited, Calcutta and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the employers in relation to Messrs Lee and Muirhead (India) Private Limited in terminating the services of Sarvashri Panchi Rai, Ramdas, Rambhadur Singh, Sudir Kumar Haldar and Mahendra Maity with effect from the 1st June, 1975 is justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?

[No. L-32012(27)/75-D.IV(A)]

NAND LAL, Section Officer (Spl.)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-6, 1975.